तीसरा अध्याय : सिविल विभाग

भाग–क : समीक्षाएं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.1 ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना)

विषेषताएं

इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 1985–86 में प्रारंभ की गई। अप्रैल 1989 से जवाहर रोजगार योजना में इसका विलय किया गया तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले गैर अनूसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को सहायता के लिए विस्तार किया गया। जनवरी 1996 में यह एक स्वतंत्र योजना बनाई गई। कियान्वयन के मूल्यांकन में ढील–ढाल के कारण कार्यक्रम प्रभावित होने से आवंटित निधियां पूर्णतः प्रयुक्त नहीं की गई तथा अतिकथित प्रगति के प्रकरण भी प्रकट हुए। उन्नयन सहायता' योजना के अन्तर्गत 13 से 25 प्रतिषत नये मकान तथा 12 से 27 प्रतिशत ' मकान अपूर्ण पड़े थे। वे भी जो पूर्ण बताए गए थे, स्वच्छ शौचालय पाखानों एवं धुआंरहित चूल्हों से रहित थे जो कि निवास इकाइयों के अभिन्न अंग थे। बाह्य एजेंसियों के लगाए जाने पर, पूर्ण प्रतिबंध होने के बावजूद भी उनकी संबंद्धता पायी गई।

.. प्रषासनिक व्यय के रूप में 1.01 करोड़ रूपये अनियमित रूप से प्रभारित किये गये।

(कंडिका 3.1.5(i))

..जवाहर रोजगार योजना की ओर विपथित किये गये 7.75 करोड़ रूपये में से 1.13 करोड़ रूपये वसूली हेतु अभी तक लंबित है।

(कंडिका 3.1.5(ii))

..सूचित किये गये व्यय के आंकड़े 3.48 करोड़ रूपये से अतिकथित थे

(कंडिका 3.1.5(iii))

..योजना के प्रावधानों के विपरीत ठेकेदारों एवं बाह्य एजेंसियों को अनियमित रूप से 6.15 करोड़ रूपये की निधियां भुगतान की गई थीं ।

(कंडिका 3.1.7(ii))

..71.71 करोड़ रूपये की लागत पर 37579 निवास इकाइयां स्वीकृत एवं निर्मित की गई थीं जो स्त्री अथवा संयुक्त नामों के स्थान पर पुरूष सदस्यों के नामों पर अनियमित रूप से आवंटित की गई थी।

(कंडिका 3.1.10)

क. इंदिरा आवास योजना

3.1.1 प्रस्तावना

गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को मकान मुहैया कराने की दृष्टि से केन्द्र सरकार की पूर्णतः वित्त पोषित योजना – ''ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम'' के एक घटक के रूप में इंदिरा आवास योजना 1985–86 में प्रारंभ की गई। 1 अप्रैल, 1989 को ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के, जवाहर रोजगार योजना में विलय से यह जवाहर रोजागार योजना का एक घटक हो गई। यह जवाहर रोजगार योजना से पृथक की गई तथा 1 जनवरी, 1996 से एक स्वतंत्र योजना बन गई। इस योजना के अन्तर्गत व्यय केन्द्र और राज्य के मध्य मार्च 1999 तक 80:20 तथा उसके बाद 75:25 के अनुपात में विभक्त रहा। उपलब्ध निधियों का 20 प्रतिषत कच्चे मकानों के अर्द्ध–पक्का/पक्का मकानों में परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होना था । इंदिरा आवास योजनान्तर्गत आवंटन का 40 प्रतिषत गैर–अनुसूचित जाति/जनजाति के गृहस्थियों तथा 3 प्रतिषत शारीरिक एवं मानसिक रूप से दावाकृत व्यक्तियों के लिए बषर्ते कि अन्य शर्तों की पूर्ति हो, प्रयुक्त होना था। इंदिरा आवास योजना से भिन्न, सरकार ने सभी के लिए मकान उपलब्ध कराने हेतु 1998 में एक राष्ट्रीय आवास एवं अधिवास नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत अन्य योजनाओं में से निम्नलिखित आवास योजनाएं अप्रैल 1999 से प्रचालित कराई गई :

(i) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) और

(ii) ग्रामीण आवास हेतु साख–सह–अनुदान योजना

3.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर योजना का पर्यवेक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिसका प्रमुख सचिव होता है, के द्वारा किया जाता था तथा विकास आयुक्त के द्वारा सहायता की जाती थी। जिला स्तर पर योजना का कियान्वयन जिलाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में कियाशील जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो अब जिला पंचायत के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से समन्वयित था। विकासखंड स्तर पर योजना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा कार्यान्वित थी।

3.1.3 समावेषन

2000–2002 अवधि के लिए विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर 16 में से चार* जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं 45 में से बारह'' जनपद पंचायतों में 1997–2002 अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना जांच दिसंबर 2001 से मई 2002 के दौरान की गई। दृष्टिगत अनियमितताओं का उल्लेख आगामी कंडिकाओं में किया गया है।

वित्त वृक्ष

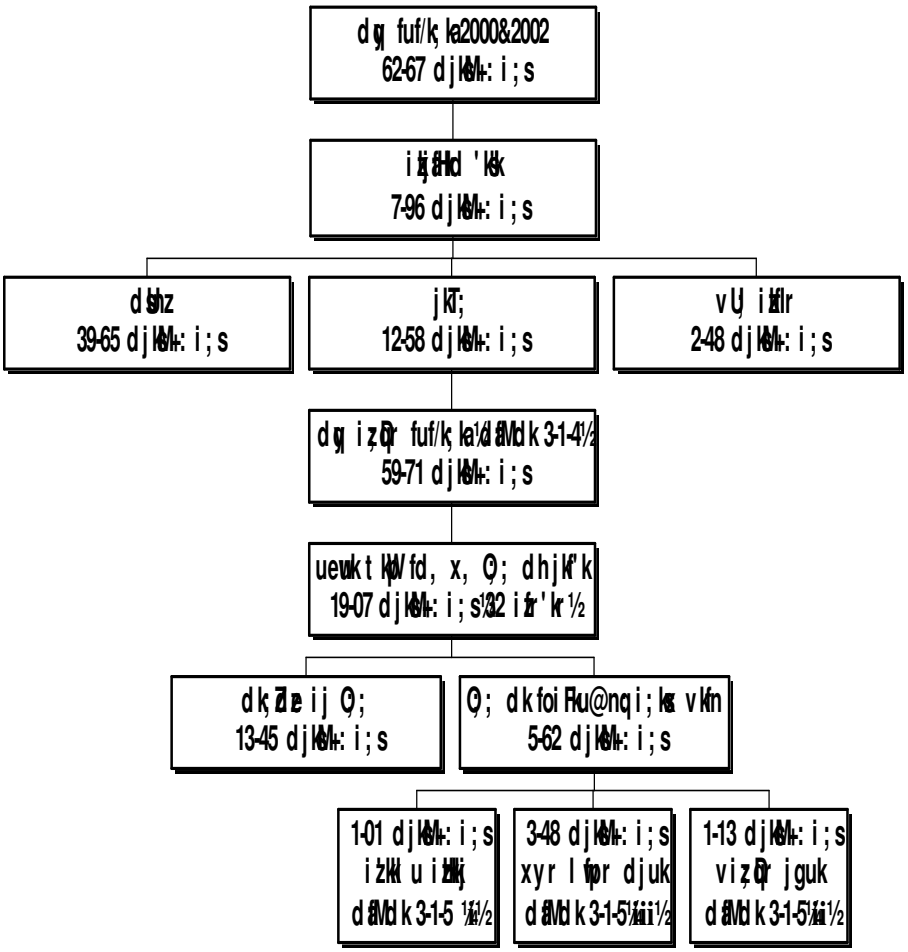

* 1–अंबिकापुर : 19, 2–बिलासपुर : 10, 3–कांकेर : 7 और 4–राजनांदगांव :9

'' 1– अंबिकापुर, 2–बलरामपुर, 3–भैयाथान, 4–ओड़गी, 5–प्रतापपुर और 6–अंबिकापुर का उदयपुर, 7–मस्तूरी और 8–बिलासपुर का मुगेली, 9–चरामा, 10–कांकेर का कांकेर, 11–चौकी और 12–राजनांदगांव का राजनांदगांव।

3.1.4 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	मकानों की श्रेणी	प्रारंभिक शेष	निधियों की प्राप्ति		अन्य प्राप्तियां	योग	व्यय	अंत शेष	बचत का प्रतिषत
			केन्द्रीय	राज्य					
2000–2001	नया	6.75	17.13	5.09	1.34	30.31	25.62	4.69	15
	उन्नयन	1.21	4.16	1.22	0.01	6.60	6.12	0.48	7
2001–2002	नया	2.66	15.10	5.16	0.60	23.52	22.88	0.64	3
	उन्नयन	0.41	3.26	1.11	0.53	5.31	5.09	0.22	4

विकास आयुक्त द्वारा बताये गये अनुसार 2001–2002 में की दोनो नये एवं उन्नयन श्रेणी के मकानों के लिए प्रारंभिक और अंतिम शेषों के आंकड़ों में अंतरों के कारणों की पूछताछ जिला पंचायत कार्यालयों से की जा रही थी।

3.1.5 नमूना जांच किये गये जिलों में वित्तीय मामले पर अनियमितताएं

नमूना जांच किये गये जिलों में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई –

इंदिरा आवास योजना निधियों पर 1.01 करोड़ रूपये के अनियमित प्रशासनिक व्यय

(i) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रषासनिक व्यय को योजना पर प्रभारित किए जाने का प्रावधान नहीं था परन्तु तीन जिला पंचायतों में, यह प्रकट हुआ कि 1.01 करोड़ रूपये अनियमित रूप से प्रभारित किये गये थे।

इंदिरा आवास योजना निधियों से अन्य योजनाओं को परिवर्तित 7.75 करोड़ रूपये मे से 1.13 करोड़ रूपये अभी तक लंबित है।

(ii) जिला पंचायत (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) अंबिकापुर में` अन्य योजनाओं (रोजगार आष्वासन योजना, वृद्धावस्थापेंषन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं जवाहर रोजगार योजना) को 7.75 करोड़ रूपये अनियमित रूप से परिवर्तित किए गए थे जिसमें से 6.62 करोड़ रूपये एक से चौदह माहों तक के विलंब के बाद प्राप्त हुये थे। 1.13 करोड़ रूपये की धनराषि (जवाहर रोजगार योजना – नवंबर 1998) अभी तक लंबित थी (अप्रैल 2002)।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अंबिकापुर ने बताया कि धनराषियॉ वापस की गई हैं। तथापि,जिला पंचायत के अभिलेखों में वापिसी की प्रविष्टियॉ नहीं ली गई थीं।

3.48 करोड़ रूपये के व्यय का अतिकथन

(iii) कियान्वयन अभिकरणों अथवा हितग्राहियों से वापिस प्राप्त अप्रयुक्त निधियॉ नमूना जांच किये गये सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के लेखे में ली गई तथा अन्य प्राप्तियों के रूप में दर्शायी गई थीं। ये अन्य प्राप्तियॉ योजना पर पुनः प्रयुक्त की गई। ऐसे प्रयोग के परिणामस्वरूप 3.48 करोड़ रूपये से व्यय का अतिकथन हुआ।

3.1.6 भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि

इंदिरा आवास योजनान्तर्गत भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार थीं –

वर्ष	मकानों की श्रेणी	पूर्व वर्ष के अपूर्ण मकान	वर्ष का लक्ष्य	कुल मकान जो पूर्ण होने थे	पूर्ण किए गए मकान	अपूर्ण मकान	पूर्णता का प्रतिषत
2000–2001	नया	5255	10907	16162	12089	4073	75
	उन्नयन	2375	5455	7830	5688	2142	73
2001–2002	नया	6753	10757	17510	15255	2255	87
	उन्नयन	3374	5378	8752	7741	1011	88

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि दोनो वर्षो में प्रारंभिक और अंतिम शेषों के बीच 2680 नये और 1232 उन्नयन श्रेणी के मकानों के अंतर थे जो जिला पंचायतों द्वारा दोषपूर्ण आंकड़ें प्रस्तुत करने से विकास आयुक्त द्वारा सूचित किए गए थे।

नमूना जांच किये गये जिलों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्यों तथा उनके विरूद्ध उपलब्धियों की स्थिति निम्नानुसार थी :–

वर्ष	मकानों की श्रेणी	पूर्व वर्ष के अपूर्ण मकान	वर्ष का लक्ष्य	कुल मकान जो पूर्ण होने थे	पूर्ण किए गए मकान	मकान जो अपूर्ण रह गये	पूर्णता का प्रतिषत
1	2	3	4	5	6	7	8
1997–98	नया	15006	10745	25751	14581	11170	57
1998–99	नया	11170	14042	25212	13380	11811	53
1999–2000	नया	11811	3993	15804	12986	2818	82
	उन्नयन	–	2028	2028	531	1497	26
2000–2001	नया	3247	3725	6972	4656	2316	67
	उन्नयन	1497	2207	3704	2285	1419	62
2001–2002	नया	2376	2988	5364	4516	848	84
	उन्नयन	1419	1572	2991	2508	483	84

3.1.7 योजना का क्रियान्वयन

हितग्राहियों के चयन में विलंब

(i) राजनांदगांव जिले के छः[1] जनपद पंचायतों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों तथा जानकारी की संवीक्षा से प्रकट हुआ है कि ग्राम पंचायतों द्वारा हितग्राहियों का चयन विलंब से किया गया तथा जनपद पंचायतों द्वारा भी जिला पंचायत को विलम्ब से प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। हितग्राहियों के चयन की प्रत्याषा में क्रियान्वयन अभिकरणों को अनियमित रूप से प्रदान 7.99 करोड़ रूपये की निधियॉ प्रदान की गई थी। मार्च 2002 के अंत तक 4820 (4013 नये + 807 उन्नयित) हितग्राहियों के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 4437 (3630 नये + 807 उन्नयित) की पहचान की जा सकी।

(ii) इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निवास इकाइयॉ गांव के मुख्य बसाहट में हितग्राहियों के वैयक्तिक भूखंडों पर बनाई जानी थीं। मकान बसाहट के अंतर्गत समूह में भी बनाये जा सकते थे जिससे अधोसंरचना के विकास की सुविधा प्रदान की जा सके। मकान समूह अथवा अल्प बसाहट में नही बनाए जाने के प्रकरण में हितग्राहियों को अधोसंरचना के विकास हेतु 2500

[1] छुरिया, चौकी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खैरागढ़ और मोहला।

रूपये प्रावधानित थे तथा सामान्य सुविधाएं प्रदान की जानी थी। हितग्राहियों को तकनीकी सहायता को छोड़कर ठेकेदारों, विभागीय एवं निजी अभिकरणों को निर्माण में संबद्ध नहीं होना था।

ठेकेदारों, विभागीय एवं निजी अभिकरणों को अनियमित रूप से 6.15 करोड़ रूपय का भुगतान

चार जिला पंचायतों के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि मकान समूह में अथवा अल्प बसाहट में नहीं बनाए गए थे। यह भी दृष्टिगत हुआ कि हितग्राहियों को भुगतान करने के स्थान पर मकानों के निर्माण स्वच्छ शौचालयों, धुआं रहित चूल्हों तथा अन्य अधोसंरचनात्मक सामान्य सुविधाओं हेतु ठेकेदारों, विभागीय और निजी अभिकरणों को अनियमित रूप से 6ण्15 करोड़ रूपये की निधियां, भुगतान की गई (**परिषिष्ट–XIX**)।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अंबिकापुर ने बताया कि टोलों, पारो और माजरो में रहने वाले हितग्राहियों की जल सुविधा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जो एक तकनीकी विभाग है, को सौंपी गयी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बिलासपुर ने बताया कि सामान्य सुविधाएं जैसे पेयजल, विद्युतीकरण, सेनिटरी पैन सेट आदि का प्रबंध ठेकेदारों के माध्यम से किया गया तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राजनांदगांव ने बताया दिया कि अधोसंरचना के विकास से संबंधित निधियां राज्य शासन के निर्देषों के अनुसार संबंधित निष्पादक अभिकरणों को भुगतान की गई थी।

उत्तर स्वीकार योग्य नहीं थे क्योंकि बाह्य अभिकरणों की संबद्धता, इंदिरा आवास योजना के प्रावधानों के विपरीत थी तथा जनपद पंचायतों के माध्यम से हितग्राहियों को ही भुगतान, किया जाना था।

3.1.8 धुआं रहित चूल्हों का प्रावधान न करना

इंदिरा आवास योजना के मकानों में राज्य में 29 से 53 प्रतिषत मकानों में तथा नमूना जांच किये गये जिलों में 14 से 99 प्रतिषत मकानों में धुआं रहित चूल्हे प्रदान नहीं किये गये थे ।

3.1.9 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण न करना

नये मकानों में 7 से 94 प्रतिषत तथा उन्नयित मकानों 13 से 47 प्रतिषत स्वच्छ शौचालय निर्मित नहीं किए गए थे।

3.1.10 पुरूषों के नामों पर मकानों का अनियमित आवंटन

यह प्रकट हुआ कि 19.42 करोड़ रूपये की लागत के 11300 मकान, राज्य में गृहस्थ हितग्राहियों के पुरूष सदस्यों के अकेले नामों पर आवंटित/वित्तपोषित किए गए। चयनित जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि 52.29 करोड़ रूपये की लागत के 26279 मकान पुरूष सदस्यों के अकेले नामों पर आवंटित/वित्तपोषित किए गए थे।

3.1.11 विस्तृत सूची पंजी

जिलों एवं विकासखंडों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि किसी भी क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा मकानों की विस्तृत सूची पंजी तैयार एवं संधारित नहीं की गई थी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अंबिकापुर तथा बिलासपुर ने बताया कि ग्रामवार विस्तृत सूची पंजियों के संधारण के संबंध में निर्देष जारी किये जा चुके हैं।

3.1.12 परिवीक्षण

योजना की सफलता के लिए राज्य, जिला एवं विकासखंड स्तर पर कार्यान्वयन अभिकरणों को योजना के क्रियान्वयन का समन्वय, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन करना आवष्यक था । विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिवीक्षण का उत्तरदायित्व राज्य/जिला/विकासखंड स्तर के अधिकारियों का था और इस के प्रयोजन हेतु समन्वयन समितियां गठित होनी थी। परन्तु यह दृष्टिगत हुआ कि ऐसी कोई समितियां गठित नहीं की गईं थी और इस प्रकार इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित/उन्नयित मकानों का भौतिक सत्यापन तथा राज्य एवं जिला स्तरों पर योजना का परिवीक्षण नहीं किया गया था। विकास आयुक्त तथा जिला पंचायत अंबिकापुर द्वारा भी यह तथ्य स्वीकार किया गया। योजना का उसकी प्रभावकारिता निर्धारित करने के लिए किसी भी समय सामाजिक–आर्थिक मूल्यांकन करना भी नहीं पाया गया।

ख. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

3.1.13 इंदिरा आवास योजनान्तर्गत प्रयासों की न्यूनता को पूर्ण करने के लिए 2000–2001 से ग्रामीण गरीब को अधिकतम लाभ के विस्तार पर जोर देने के साथ ही ग्रामीण आश्रय उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के एक अंग के रूप में ''ग्रामीण आवास योजना'' की घोषणा अप्रैल 1999 में कर एक नया कदम उठाया गया ।

योजना पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है तथा योजना के लिए निधियां दो किस्तों में मुक्त की जानी थी। दूसरी एवं अनुवर्ती किस्त उपयोगिता प्रमाणपत्र व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद मुक्त की जानी थी। मुक्त की गई निधियां निम्नानुसार थीं :

3.1.14 वित्तीय

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	केन्द्र सरकार	राज्य शासन	व्यय	शेष
2000–2001	4.71	–	–	4.71
2001–2002	3.51	6.46	6.08	0.38
योग	8.22	6.46	6.08	0.38

3.1.15 भौतिक

वर्ष	मकान	लक्ष्य	उपलब्धि
2001–2002	नया	2663	1761
2001–2002	उन्नयन	1142	725

केन्द्र सरकार ने 8.22 करोड़ रूपये का अनुदान मुक्त किया जिसमें से 6.46 करोड़ रूपये बारह जिला पंचायतों (जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों) को, 2663 नये मकानों के निर्माण हेतु तथा 1142 पुराने मकानों के उन्नयन हेतु प्रदान किए गए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने नये मकानों पर 5.03 करोड़ रूपये तथा उन्नयन पर 1.05 करोड़ रूपये व्यय किए (मार्च 2002)। शेष 0.38 करोड़ रूपये जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पास तथा 1.76 करोड़ रूपये राज्य शासन के पास थे। इस प्रकार 2.14 करोड़ रूपये का अनुदान अप्रयुक्त रहा (मार्च 2002)। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त किए गए बंधक मजदूर, पत्नी, पति या दोनों के नामों पर आवंटित निर्मित/उन्नयित श्रेणी के मकानों में स्वच्छ शौचालय, धुआं रहित चूल्हे आदि जुटाये नहीं किए गए थे।

ग. साख–सह–अनुदान योजना

3.1.16 राष्ट्रीय आवास एवं अधिवास नीति 1998 के अंतर्गत अधिकांश हितग्राहियों की आवष्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंको के माध्यम से ''साख–सह–अनुदान योजना'' 1999 में प्रारंभ की गई। योजना पर व्यय का विभाजन केन्द्र और राज्य शासन के बीच 75:25 के अनुपात में किया जाना था। योजना के अन्तर्गत प्रति गृहस्थी 10,000 रूपये तक अनुदान तथा 40,000 रूपये तक ऋण दिया जा सकता था ।

1.39 करोड़ रूपये की उपलब्ध निधियों के विरूद्ध 1231 हितग्राहियों को 1. 23 करोड़ रूपये के अनुदान का भुगतान किया गया तथा केवल 842 मकान पूर्ण हो सके।

विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिवीक्षण का उत्तरदायित्व राज्य/जिला/विकासखंड स्तर के अधिकारियों का था तथा इस प्रयोजन हेतु समन्वय समितियां गठित होनी थी। ऐसी कोई समितियां गठित नहीं की गई थी।

उपरोक्त बिन्दु शासन को अगस्त 2002 में भेजे गये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2003)।

3.2 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

विषेषताएं

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, बैंक साख और शासकीय अनुदान के मिश्रण के माध्यम से आय जनित परिसंपत्तियॉं उपलब्ध कराने हेतु सहायताकृत परिवारों को तीन वर्षों में गरीबी रेखा के ऊपर उठाने के लिए अप्रैल 1999 से प्रारंभ की गई थी। पांच नमूना जिलों में योजना के कियान्वयन की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि परिवार जो वास्तव में समाविष्ट किए गए, लक्ष्य से कम थे, परियोजना से अर्जित आय परियोजनाकृत आकलन से बहुत कम थी, तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदन पूर्णता की अपेक्षा कम थे तथा कुछ कियाकलापों के लिए विस्तारित सहायता स्वीकृत लागत से कम थी। प्रषिक्षण अनुदान और अधोसंरचना विकास पर अधिक व्यय के प्रकरण भी दृष्टिगत हुए। वित्तीय उपलब्धियों का अतिकथन सामने आया तथा समूह मूल्यांकन पर भी प्रकाश केन्द्रीभूत नहीं किया गया जैसा कि योजना के अंतर्गत आवष्यक था।

- तीन जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के द्वारा 5.73 करोड़ रूपये की सीमा तक व्यय अतिकथित किया गया जिसमें 0.64 करोड़ रूपये का, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बस्तर के द्वारा प्रषासन पर अनियमित रूप से किया गया, व्यय सम्मिलित था। इनके अलावा 2. 66 करोड़ रूपये अधोसंरचना के विकास पर अधिक व्यय किया गया।

  (कंडिका 3.2.5 (iii) एवं (vi))

- 10429 अप्रषिक्षित स्वरोजगारियों को सहायता प्रदान की गई तथा 13063 को बिना सहायता विस्तारित किए प्रषिक्षण दिया गया।

  (कंडिका 3.2.6)

- नमूना जांच किये गये पांच जिलों में गठित 11722 स्वसहायता समूहों में से केवल 375 स्वसहायता समूह आर्थिक कियाकलाप प्रारंभ कर सके।

  (कंडिका 3.2.7 (क)(ii))

- पांच नमूना जिलों में 1.10 लाख गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के कल्पित समावेषन के विरूद्ध वास्तविक समावेषन 24398 ही था।

  (कंडिका 3.2.8.3)

- 492 स्वसहायता समूहों में से 251 को नगद साख छः माहों तक के विलंब से स्वीकृत किए गए।

  (कंडिका 3.2.9)

- बस्तर जिले में विषेष परियोजना पर अधोसंरचना निधि से 2.49 करोड़ रूपये अनियमित रूप से व्यय किए गये। 2.15 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता अप्रयुक्त रही।

  (कंडिका 3.2.10)

3.2.1 प्रस्तावना

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा संबंद्ध कार्यक्रमों की निहित समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने इन कार्यक्रमों को समेकित किया और 1 अप्रैल 1999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में स्वरोजगार कार्यक्रमों की पुनर्सरंचना की। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बैंक साख और शासकीय अनुदान के मिश्रण के माध्यम से प्रत्येक सहायताकृत परिवार को आय जनित संपत्तियां उपलब्ध कराते हुए समूह मूल्यांकन पर केन्द्रीभूत के साथ तीन वर्षों में उन्हें गरीबी रेखा के ऊपर लाने पर लक्ष्यकृत थी।

स्वरोजगार के सभी पहलुओं का समावेष करते हुए स्वसहायता समूहों में गरीब का संगठन, प्रषिक्षण विस्तार, साख, तकनीकी, अधोसंरचना एवं विपणन का यह एक सम्मिलित कार्यक्रम था । योजना का उद्देष्य गरीब परिवारों को तीन वर्षों में गरीबी रेखा के ऊपर लाना था। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक विकासखंड में गरीब परिवारों का 30 प्रतिषत समावेष करने का प्रयास था और यह सुनिष्चित करना था कि पुनर्भुगतान को छोड़कर परिवार की निवल मासिक आय कम से कम 2000 रूपये प्रतिमाह थी। कार्यक्रम पर व्यय का विभाजन भारत सरकार और राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में था।

3.2.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, उत्तरदायी है, विकास आयुक्त उसकी सहायता करता है जो योजना को कार्य योजना समन्वयन एवं परिवीक्षण के लिए उत्तरदायी है। जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो अब जिला पंचायत के रूप में जाना जाता है, के पास था। विकासखंड स्तर पर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लिये गये क्रियाकलाप मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के द्वारा कार्यान्वित किए जाते है।

3.2.3 लेखापरीक्षा समावेषन

विकास आयुक्त, 5 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों तथा 5 जिलों (दुर्ग, बस्तर, जांजगीर–चांपा, रायगढ़ और रायपुर) में 50 में से 17[रु] जनपद पंचायतों में विकासखंड अधिकारियों/मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जनपद पंचायत के कार्यालय, में दिसंबर 2001 से सितंबर 2002 के मध्य 1999–2002 से योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा संपन्न की गई। नमूना जांच के परिणाम उत्तरवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित हैं।

3.2.4 कार्य–योजना

(क) हितग्राहियों का चयन

बैंको द्वारा मुख्य किया– कलाप लेने हेतु प्रस्तावों की कम स्वीकृति

(i) संभावित स्वरोजगारियों की पहचान के लिए विकासखंड अधिकारी या उसके प्रतिनिधि, बैंक प्रतिनिधि एवं सरपंच मिलकर एक त्रिसदस्य दल को

[रु] बस्तर जिला के बस्तर, फरसगांव, जगदलपुर और कोण्डागांव, दुर्ग जिला के बेरला धमधा और दुर्ग, जांजगीर–चांपा जिला के अकलतरा, बलोदा और जैजैपुर, रायगढ़ जिला के बरमकेला, घरघोड़ा और रायगढ़ और रायपुर जिला के बलोदा बाजार, बिलाईगढ़, कसडोल और सिमगा

एक ग्राम पंचायत में प्रत्येक बसाहट का भ्रमण करना आवष्यक था। स्पष्ट रूप से प्रक्रिया में इच्छित प्रकरणों में बैंक सहायता की सुनिश्चितता के अभिप्राय से बैंकों का समावेशन था, परन्तु देखने में आया कि 17 जनपद पंचायतों में बैंकों की भागीदारी न्यूनतम थी । परिणामतः बैंकों की पूर्ण भागीदारी की कमी, बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत करते समय हितग्राहियों के प्रकरण अधिक संख्या में निरस्त करने के रूप में प्रतिबिम्बित हुई। 14 जनपद पंचायतों में 12637 प्रकरणों में से केवल 5748 प्रकरण बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये । बैंकों की अधिक भागीदारी से हितग्राहियों की चयन प्रक्रिया में अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते थे।

नमूना जिलों में महिला एवं अषक्त व्यक्ति स्वरोजगारियों के समावेषन में कमी

(ii) दिशा निर्देशों के अनुसार, समाविष्ट स्वरोजगारियों की कुल संख्या में कम से कम 50 प्रतिषत अनुसूचित जाति/जनजाति, 40 प्रतिषत महिलाएं तथा 3 प्रतिषत अषक्त व्यक्ति होना चाहिए थे। जिलेवार विस्तृत विवरण नीचे दर्षाए अनुसार थे :

कम संख्या	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या एवं प्रतिषत		महिलाओं की संख्या एवं प्रतिषत		अशक्त व्यक्तियों की संख्या एवं प्रतिषत	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	1999–2000	4340	2335	53.80	456	10.50	1	(0.02)
2.	2000–2001	7312	3794	51.88	1051	14.37	2	(0.02)
3.	2001–2002	9133	5005	54.80	961	10.52	11	(0.12)
	योग	**20785**	**11134**	**53.56**	**2468**	**11.87**	**14**	**(0.06)**

इस प्रकार, महिला एवं अषक्त व्यक्ति स्वरोजगारियों का प्रतिषत क्रमषः 30 एवं 3 प्रतिषत के मानदंड की तुलना में बहुत ही कम था।

(ख) मुख्य क्रियाकलापों का चयन

योजना में मुख्य क्रियाकलाप चयन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर विस्तृत कार्य–योजना पर बल दिया गया। प्रत्येक विकासखंड के लिए चिन्हित मुख्य क्रियाकलापों को स्थानीय संसाधनों, हितग्राहियों की योग्यता/कौषल, उत्पादन के संबंध में उपलब्ध अधोसंरचना, प्रषिक्षण तथा अनुमोदित विपणन सुविधाओं पर आधारित होना चाहिए था। ऐसे चयनित क्रियाकलाप सामान्यतः 5 वर्षों के लिए वैध होना चाहिए थे। तीसरे वर्ष में कम से कम 2000 रूपये प्रतिमाह प्रति परिवार की निवल आय सहित प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप हेतु परियोजना प्रतिवेदन लिए तैयार किए जाने थे। चयनित मुख्य क्रियाकलापों की समीक्षा दो वर्षों के बाद की जा सकती थी।

मुख्य क्रियाकलापों का चयन, आर्थिक सहायता का प्रावधान तथा मुख्य क्रियाकलापों से आय–अर्जन के अवलोकन से निम्नलिखित कमियां प्रकट हुई :–

125 स्वरोजगारियों के संबंध में आय का परियोजनागत स्तर प्राप्त नहीं

(i) प्रत्येक मुख्य क्रिया–कलाप से सृजित आय के संबंध में जानकारी विकासखंड के पास उपलब्ध नहीं थी। तथापि, चार नमूना जिलों के 14 विकासखंडों के 125 स्वरोजगारियों के द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से प्रकट हुआ कि सकल अर्जित आय 500 रूपये तक 8 प्रकरणों (6प्रतिषत) में, 501 रूपये से 1000 रूपये के मध्य 6 प्रकरणों (5 प्रतिषत) में, 1001 रूपये से

1500 रूपये के मध्य 17 प्रकरणों (14 प्रतिषत) में, 1501 रूपये से 2000 रूपये के मध्य 81 प्रकरणों (65 प्रतिषत) में थी। 2000 रूपये प्रतिमाह प्रति परिवार से अधिक की सकल आय 13 प्रकरणों (10 प्रतिषत) में ही बताई गई। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्थिर आय पाने का वांछित उद्देष्य स्वरोजगारियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया गया।

(ii) जांजगीर–चांपा जिले में मुख्य क्रियाकलापों का चयन विकासखंडों के स्थान पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया गया।

(iii) मुख्य क्रियाकलाप समूहों में प्राथमिकता के आधार पर किये जाने चाहिये थे ताकि पिछड़े और उन्नतिषील के बीच प्रभावी ढंग से कड़ी स्थापित की जा सके। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हेतु चयनित दुर्ग जिले के 1586 ग्रामों में से केवल 195 ग्रामों (12.29 प्रतिषत) में मुख्य क्रियाकलाप समूहों में किये गये।

(ग) परियोजना प्रतिवेदन

अपूर्ण परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना

विकासखंड स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समिति प्रत्येक मुख्य क्रियाकलाप के लिए परियोजना प्रतिवेदनों की तैयारी हेतु उत्तरदायी थी। यह दृष्टिगत हुआ कि नमूना जांच किये गये 5 जिलों के 17 विकासखंडों में तैयार किए गए परियोजना प्रतिवेदनों में स्वरोजगारियों को उपलब्ध करवाने के लिए वांछनीय प्रषिक्षण एवं प्रौद्योगिकी बाजार की उपलब्धता तथा अधोसंरचना जो सन्निहित लागत आदि उपलब्ध होना आवष्यक है, के पूर्ण विवरण नहीं थे। 136 परियोजना प्रतिवेदनों में से 117, 85, 102 एवं 93 परियोजना प्रतिवेदनों में क्रमषः अधोसंरचना, प्रषिक्षण, विपणन एवं कौषल विकास के विवरण नहीं थे।

परियोजना लागत से कम धनराषि का भुगतान

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, अनुमोदित परियोजना की संपूर्ण लागत वित्तपोषित होना था, तथा किसी भी परिस्थितियों में अधोवित्तपोषण अधीन अनुमत्य नहीं था। नमूना जांच में प्रकट हुआ कि बैंको ने 44.95 लाख रूपये अधोवित्तपोषण को छोड़कर 95.98 लाख रूपये की परियोजना लागत के विरूद्ध 11 विकासखंडों में 246 स्वरोजगारियों को केवल 51.03 लाख रूपये संवितरित किए। चूंकि, प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए परियोजना लागत वांछित निवेष तथा स्वरोजगारियों/स्वसहायता समूहों को अर्जित योग्य निवल आय के आधार पर अनुमोदित थी, बैंको द्वारा निवेष के संकुचन से स्वरोजगारियों को गरीबी रेखा पार करने में सहायता नहीं हुई ।

3.2.5 वित्तीय परिव्यय एवं व्यय

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निर्दिष्ट प्रतिषतों से निम्नलिखित घटकों पर व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई थी :

घटक का नाम	अनुमत्य व्यय
प्रशिक्षण	आवंटन का 10 प्रतिशत
अद्योसंचरना निधि	आवंटन का 20 प्रतिशत
चक्रीय निधियां	आवंटन का 10 प्रतिशत
आर्थिक क्रियाकलाप हेतु अनुदान	आवंटन का 60 प्रतिशत

उपभोग ऋण प्रदान करने वाले बैंको को जोखिम निधि सहायता उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तर पर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधि के एक प्रतिषत से एक जोखिम निधि उपभोग साख सृजित की जा सकती थी।

प्रषासन हेतु निधियां ''जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रषासन'' हेतु अनुदान के रूप में पृथकतः प्रावधानित थीं। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विषेष परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए निधियां भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई थी।

अभिलेखों से प्रकट हुआ कि नमूना जांच किये गये 5 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में से किसी के द्वारा प्रत्येक निधि के लिए अलग लेखाओं का प्रचालन नहीं किया गया।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निधियों की मुक्ति तथा किए गए व्यय के विवरण, जैसा कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा सूचित किए गए, निम्नानुसार थेः

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	मुक्त किए गए भारत सरकार के अंश	मुक्त किए गए राज्यांष	अन्य प्राप्ति	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	बचत
1999–2000	अप्राप्त						
2000–2001	28.20/	16.33	4.62	11.45	60.60	48.16	12.44
2001–2002	14.74/	14.67	4.33	5.42	39.16	38.88	0.28

कथित व्यय तथा परिवर्तित, दुरूपयोग धनराषि आदि के साथ ही साथ नमूना जांच को दर्षाता हुआ वित्त वृक्ष नीचे दिया गया है :

वित्त वृक्ष

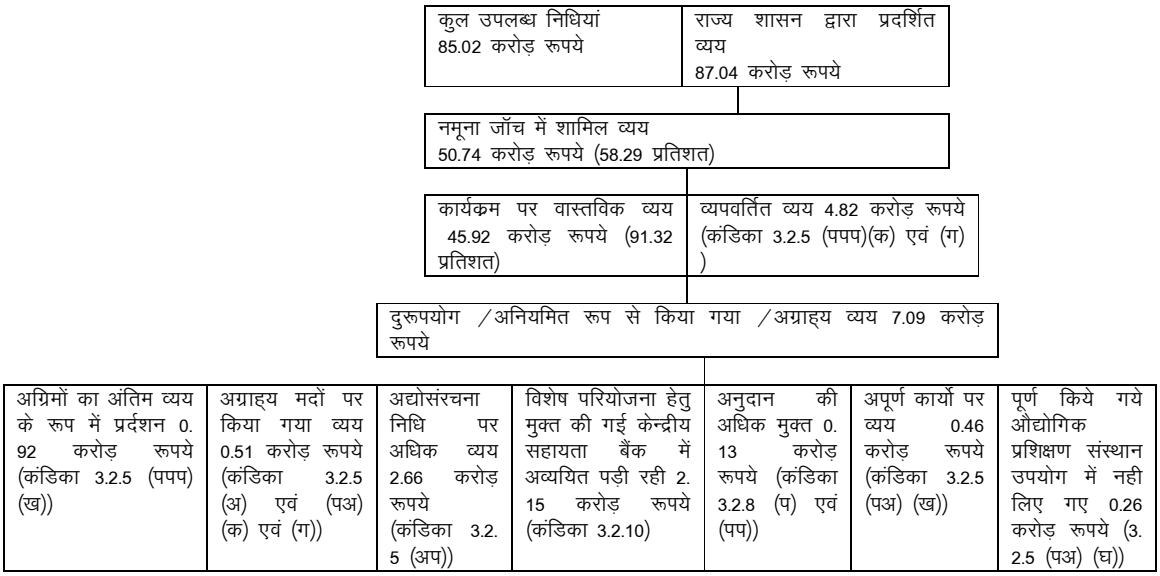

* छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1.11.2000 को हुआ था।

@ विभागीय आंकड़ों का मिलान प्रतीक्षित है।

संबंद्ध अभिलेखों के अवलोकन से निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुई :–

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधियों के कम उपयोग के कारण केन्द्रीय सहायता कम मुक्त होना

(i) योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय निधियां दो किस्तों में मुक्त की जानी थी। प्रथम किस्त की मुक्ति प्रत्येक वर्ष मई के अंत तक पूर्ण की जानी थी। दूसरी किस्त की मुक्त निर्धारित प्रारूप पर आधारित थी। अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2000–2001 में दुर्ग और रायगढ़ जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधियों की प्रथम केन्द्रीय किस्त प्राप्त नहीं की क्योंकि वे 1999–2000 के दौरान कुल उपलब्ध निधियों में से केवल 42.24 प्रतिषत (रायगढ़) और 28.39 प्रतिषत (दुर्ग) व्यय कर सके। 2001–2002 में नमूना जांच किये गये पांच जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों मे से तीन को केंद्रीय सहायता की प्रथम किस्त 5 से 7 माहों के विलंब से मुक्त की गई।

राज्यांष की मुक्ति में 22 माहों तक का विलंब

(ii) दुर्ग जिले में वर्ष 1999–2000 से संबंधित 135 लाख रूपये के केन्द्रांष की दूसरी किस्त मार्च 2000 में मुक्त की गई परन्तु 44.73 लाख रूपये का समान राज्यांष जनवरी 2002 में ही अर्थात 22 माहों के विलंब के बाद मुक्त किया गया।

(iii)(क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रायपुर द्वारा 12.75 करोड़ रूपये(2000–01 – 7.50 करोड़ रूपये, 2001–02 – 5.25 करोड़ रूपये) व्यय के रूप में सूचित किये गये थे जिसमें नवगठित जिलों को अंतरित 4.18 करोड़ रूपये शामिल किए गए।

(ख) बस्तर और रायपुर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों ने विभिन्न निष्पादक अभिकरणों को अग्रिम के रूप में 91.53 लाख रूपये भुगतान किए और इसे अंतिम व्यय के रूप में माना। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बस्तर और रायपुर ने मई 2002 में बताया कि उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रतीक्षित थे।

(ग) बस्तर में 63.77 लाख रूपये ''जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का प्रषासन'' की ओर व्यपवर्तित किए गए जो स्वीकार्य नहीं था।

(पअ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अधोसंरचना निधि के उपयोग के पूर्व जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, रोजगार आष्वासन योजना तथा अन्य केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग अधोसंरचना सृजन के लिए होना चाहिए। इस प्रकार सृजित अधोसंरचना स्वरोजगारियों के द्वारा पूर्ण उपयोग हेतु उपलब्ध होनी चाहिए तथा अधोसंरचना निधि सामान्य प्रकृति की अधोसंरचना के सृजन हेतु उपयोग नहीं होनी चाहिए।

अग्राह्य मदों पर व्यय किया गया

(क) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुर्ग ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधि में से 14.80 लाख रूपये ''इंदिरा हरेली सहेली योजना'' के कियान्वयन हेतु सहायक संचालक, उद्यानिकी, दुर्ग के लिए स्वीकृत किए। राज्य योजना पर किया गया व्यय अग्राह्य था।

राज्य सरकार की परिसम्पत्तियों की वृद्धि हेतु अधोसंरचना निधि का उपयोग किया गया

(ख) रायपुर जिले में 53 मत्स्य तालाबों, 20 पषु औषधालयों एवं 12 प्रषिक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु 12.69 करोड़ रूपये मुक्त किए गए। अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि 46.34 लाख रूपये के व्यय के

उपरान्त जून 2002 तक 85 निर्माण कार्यों में से 33 निर्माण कार्य (मत्स्य तालाब–7, पषु औषधालय–14 एवं प्रषिक्षण केन्द्र–12) अपूर्ण रह गए। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधि का उपयोग अनियमित था।

(ग) रायगढ़ जिले में पौधषालाओं के विकास हेतु सहायक संचालक, उद्यानिकी, रायगढ़ को 32.32 लाख रूपये भुगतान किए गए। यह अनियमित था।

अधोसंरचना निधि में से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भवन उपयोग में नही लिया गया

(घ) कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, जांजगीर द्वारा खरोद ग्राम में निर्मित मिनी औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान भवन 26 लाख रूपये के व्यय से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधियों से पूर्ण होना बताया गया परन्तु अगस्त 2002 तक भवन उपयोग में नहीं लाया गया ।

(v) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रायगढ़ ने दिसंबर 2000 में रायगढ़ जिले के 11 बाल आश्रमों को 4 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया जो अनियमित था तथा ऐसे वितरित ऋण जून 2002 तक वापस प्राप्त नहीं किए गए ।

(vi) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुर्ग, जांजगीर, चांपा, बस्तर और रायपुर में अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि अधोसंरचना सृजन पर अनुमत्य 6.89[रु] करोड़

रूपये के विरूद्ध वास्तविक व्यय 9.55 [रुरु] करोड़ रूपये का था परिणामस्वरूप अधोसंरचना पर 2.66 करोड़ रूपये का अधिक व्यय हुआ।

3.2.6 प्रषिक्षण

तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौषल, दोनों की प्रषिक्षण की आवश्यकता सुनिष्चित करनी थी तथा कौषल उन्नयन की आवष्यकता वाले स्वरोजगारियों की संख्या की पहचान की जानी थी। प्रत्येक स्वरोजगारी को ऋण की स्वीकृति के बाद तथा उसके वितरण के पूर्व आधार अभिविन्यास कार्यक्रम दिया जाना है। कौषल विकास कार्यक्रम उन स्वरोजगारियों के लिए जिन्हें पहचाने गए क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त कौषल विकास की आवष्यकता है, संचालित होने थे। कौषल विकास प्रषिक्षण में भाग लेने के लिए शासकीय संस्थाओं जैसे इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थाओं, पोलीटेक्नीकों , विष्वविद्यालयों एवं गैर शासकीय संगठनों से संपर्क किया जाना आवष्यक था। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधि का

[#] दुर्ग : 103.66 लाख रूपये, जांजगीर–चांपा : 47.32 लाख रूपये, रायपुर : 346.20 लाख रूपये, बस्तर : 192 लाख रूपये

[रुरु] दुर्ग : 134.16 लाख रूपये, जांजगीर–चांपा : 96.31 लाख रूपये, रायपुर : 316.19 लाख रूपये, बस्तर : 408.40 लाख रूपये

10 प्रतिषत ''स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रषिक्षण निधि'' नामक अलग लेखा शीर्ष में रखा जाना आवष्यक था।

अप्रशिक्षित स्वरोजगारियों ने सहायता प्राप्त की जबकि प्रषिक्षित स्वरोजगारियों को लाभ से वंचित किया गया

पहचाने गए तथा संचालित आधार अभिविन्यास प्रषिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले स्वरोजगारियों के विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं :–

क्रम संख्या	जिला का नाम	पहचान किए गए स्वरोजगारियों की संख्या (व्यक्तिगत +स्वसहायता समूह)	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की संख्या (व्यक्तिगत +स्वसहायता समूह)	प्रशिक्षित स्वरोजगारियों की संख्या (व्यक्तिगत +स्वसहायता समूह)	कमी (–)/ आधिक्य(+)
1.	बस्तर	48177	6109	11848	(+) 5739
2.	दुर्ग	19578	4375	466	(–) 3909
3.	जांजगीर–चांपा	16698	2360	7051	(+) 4691
4.	रायगढ़	21965	7230	710	(–) 6520
5.	रायपुर	33989	4324	6957	(+) 2633
	योग	140407	24398	27032	

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, दुर्ग और रायगढ़ द्वारा आधार अभिविलास कार्यक्रम प्रषिक्षण दिये बिना 10429 स्वरोजगारियों को ऋण वितरित किया गया जबकि बस्तर, जांजगीर–चांपा और रायपुर जिले में प्रषिक्षण दिए गए 13063 स्वरोजगारियों को सहायता नहीं दी गई।

स्वरोजगारियों के प्रषिक्षण पर अधिक व्यय

(प) पांच नमूना जिलों में प्रषिक्षित होने के लिए आवष्यक 1,40,407 स्वरोजगारियों के विरूद्ध केवल 27,032 स्वरोजगारियों को वास्तव में प्रषिक्षित किया गया। प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन 25 रूपये की अधिकतम ग्राहय राशि के विरूद्व 161 रूपये से 4788 रूपये तक प्रति प्रषिक्षणार्थी व्यय किया गया । यह, 1.42 करोड़ रूपये के पूर्णरूपेण औचित्यहीन व्यय आधिक्य को ही प्रदर्शित न कर महत्वपूर्ण प्रशिक्षण के स्त्रोतों के दुरूपयोग के स्तर को भी दर्शाता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने अधिक व्यय के दायित्व को अशासकीय संस्थाओं जिन्होंने स्वसहायता समूहों की क्षमता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया था, पर डाल कर मुद्दे से बचना चाहा । तथापि, भुगतान पद्यति की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि भुगतान वास्तविक प्रगति के आधार पर चार किस्तों में होना था तथा एकमुश्त नहीं। इसके अतिरिक्त, व्यय प्रशिक्षण निधि के अन्तर्गत न लेकर चक्रीय निधि के अन्तर्गत लिया जाना था। प्रशिक्षण पर व्यय की प्रति व्यक्ति असाधारण उच्चता, वास्तविक रूप से कम प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों के कारण थी जबकि निधियां अधिक संख्या, में प्रशिक्षण हेतु मुक्त की गयी थी । प्रशिक्षण संसाधनों का बड़े पैमाने पर कुप्रबन्धन से इंकार नहीं किया जा सकता ।

(पप) तीन* मिनी औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थाओं के निर्माण पर 1.10$^{\Theta}$ करोड़ रूपये तथा वहां पदस्थ अमले के वेतन एवं भत्तों पर 0.12 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल सिद्व हुआ क्योंकि दो औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थाओं में 1 अप्रैल

* सांरगढ़, कटघोरा और कोटा

Θ भवन : 0.92 करोड़ रूपये, औजार एवं संयंत्र : 0.17 करोड़ रूपये और फर्नीचर : 0.01 करोड़ रूपये

1999 के बाद प्रषिक्षण प्रारंभ नहीं किया गया और मिनी औद्योगिक प्रषिक्षण संस्था, कोटा का निर्माण मार्च 2002 तक अपूर्ण रहा।

3.2.7 स्वसहायता समूहों का गठन

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर 5 नमूना जिलों के प्रगति प्रतिवेदनों के अनुसार 1999–2002 के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक उपलब्धियां निम्नानुसार थीं :–

क्रम संख्या	जिले का नाम	स्वसहायता समूहों की संख्या			स्वरोजगारियों की संख्या			स्वसहायता समूहों के अंतर्गत आवृत्त सदस्यों का प्रतिषत
		गठित	आर्थिक क्रियाकलाप प्रारंभ किए गए	चक्रीय निधियां उपलब्ध कराई गई	प्रशिक्षित	शासकीय अनुदान प्राप्त किए गए		
						समूहों मे	व्यक्तिगत	
1.	बस्तर	4366	130	596	11848	1292	4817	21.15
2.	दुर्ग	1571	48	508	466	507	3868	11.59
3.	जांजगीर–चांपा	1493	78	173	7051	592	1768	25.08
4.	रायगढ़	1511	36	361	710	375	6855	5.19
5.	रायपुर	2781	83	610	6957	847	3477	19.59
योग		11722	375	2248	27032	3613	20785	14.81

समूह मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया

(प) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना समूह मूल्यांकन पर जोर देती है जिसके अंतर्गत ग्रामीण गरीबों को स्वसहायता समूहों में गठित होना था। यह दृष्टिगत हुआ कि समूह मूल्यांकन पर ध्यान केद्रित नहीं किया गया क्योंकि कुल स्वरोजगारियों के केवल 14.81 प्रतिषत समूहों में आवृत्त किए जा सके।

नमूना जिलों में महिलाओं के लिए कम समूहों का गठन किया गया

(पप) 5 नमूना जिलों में 11,722 समूहों में से केवल 375 (3.20 प्रतिषत) आर्थिक क्रियाकलाप प्रारंभ कर सके।

(पपप) समूहों का 50 प्रतिषत विषिष्टतः महिलाओं के लिए गठित होना आवष्यक था, तीन जिलों (रायपुर, बस्तर और दुर्ग) द्वारा प्रदायित जानकारी के अनुसार, 1999–2002 के दौरान गठित 8718 स्वसहायता समूहों के विरूद्ध वास्तव में 3230 (37.05 प्रतिषत) महिला समूह गठित किए गए।

समूहों के श्रेणीयन हेतु स्वतंत्र एजेंसी का नगण्य समावेशन

(पअ) यह सुनिष्चित करने के लिए कि स्वसहायता समूह एक अच्छे समूह में विकसित किए गए तथा मूल्यांकन के आगामी स्तर में जाने के लिए तैयार थे, स्वसहायता समूह के गठन से छः माहों के अंत में एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा श्रेणीयन का कार्य किया जाना था। यह दृष्टिगत हुआ कि नमूना जांच किए गए 17 विकास खंडों में से केवल एक विकासखंड में एक स्वतंत्र एजेंसी का उपयोग किया गया। 11722 स्वसहायता समूहों में से केवल 3094, 526 एवं 375 ही तीन प्रक्रमों के माध्यम से उन्नत किए गए।

3.2.8 कार्यक्रम क्रियान्वयन

कार्यक्रम में निम्नलिखित मानदंडों पर आर्थिक क्रियाकलाप हेतु अनुदान के भुगतान का प्रावधान किया गयाः

अनुसूचित जाति/जनजाति स्वरोजगारियों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिषत अधिकतम 10,000 रूपये (पप) अन्य स्वरोजगारियों के लिए परियोजना लागत का 30 प्रतिषत अधिकतम 7500 रूपये और (पपप) स्वसहायता समूहों के लिए परियोजना लागत का 50 प्रतिषत अधिकतम 1.25 लाख रूपये।

कार्यक्रम में 10 से 20 व्यक्तियों से समूहों के गठन पर भी विचार किया गया और लघु सिंचाई क्रियाकलाप के प्रकरण में सदस्यों की न्यूनतम संख्या पांच थी

(प) रायपुर जिले के बलौदाबाजार और सिमगा विकासखंडों में 76.88 लाख रूपये लागत वाली जल वितरण के लिए पाईप बिछाने सहित एक उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत स्वीकृत की गई। परियोजना हितग्राहियों में 7 स्वसहायता समूहों के 91 सामान्य श्रेणी के सदस्य शामिल किए गए (कुल 158 सदस्य) । इन सामान्य श्रेणी सदस्यों को भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रायपुर द्वारा 50 प्रतिषत की दर से अनुदान स्वीकृत किया गया। 7 समूहों के 91 सदस्यों को 9.28 लाख रूपये के अनुदान का अधिक भुगतान किया गया।

(पप) इसी प्रकार, सामान्य श्रेणी के व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को लघु सिंचाई क्रियाकलाप हेतु, 5 नमूना जिलों के 9 विकास खण्डों में 30 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत अनुदान भुगतान किया गया । इसके परिणामस्वरूप 3.89 लाख रूपये के अनुदान का अधिक भुगतान हुआ ।

3.2.8.1 ऋण की वसूली

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऋण की अत्यल्प वसूली

नमूना जांच किये गये जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में से किसी के भी पास वसूली योग्य और वास्तव में वसूल की गई राषि के संबंध में जानकारी नहीं थी। 17 चयनित विकासखंडों में से 13 में वसूली योग्य 170.82 लाख रूपये के विरूद्ध केवल 63.63 लाख रूपये पिछले तीन वर्षों के दौरान ऋण के पुनर्भुगतान के रूप में वसूल किए जा सके।

3.2.8.2 परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन

यह सुनिष्चित करने के लिए कि स्वरोजगारी अपनी परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंध कर रहे थे, प्रत्येक वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाना था।

स्वरोजगारियों के द्वारा अधिप्राप्त परिसंपत्तियॉ उनके कार्यस्थल पर नहीं पाई गईं

स्वरोजगारियों द्वारा अधिप्राप्त संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करते समय दृष्टिगत हुआ कि तीन विकासखंडों के 33 स्वरोजगारियों से संबंधित 8.98 लाख रूपये की परिसंपत्तियां नहीं पाई गईं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रायगढ़ ने बताया (जुलाई 2002) कि दोषियोंके विरूद्ध विकासखंड स्तरीय समिति तथा संबंधित बैंको द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए और न कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा।

3.2.8.3 समावेषन में कमी

गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों का लक्ष्य से कम समावेषन

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देष्य प्रथम पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक विकासखंड में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों का 30 प्रतिषत समावेष करना था तथा उन्हें गरीबी रेखा के ऊपर उठाना था। सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या 14.29 लाख थी। पांच नमूना जिलों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की कुल संख्या 6.08 लाख थी। तदनुसार, गरीबी रेखा के नीचे के 1.10 लाख परिवारों को प्रथम तीन वर्षों के दौरान समावेष हो जाना चाहिए। तथापि, गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों (एक व्यक्ति प्रति परिवार की दर पर) की संख्या जैसा कि जिलों द्वारा सूचित किया गया, 85128 परिवारो (78 प्रतिषत) की कमी को दर्शाते हुए केवल 24398 (22 प्रतिषत) समाविष्ट किये गये। इन जिलों में समावेषन में कमी 73 एवं 86 प्रतिषत के बीच थी।

3.2.9 बैंकों के द्वारा चक्रीय निधि का भुगतान न करना/विलंबित भुगतान

कम से कम छः माहों की अवधि के अस्तित्व वाले प्रत्येक स्वसहायता समूह जो जीवनक्षम थे, को बैंकों से द्वितीय प्रक्रम में 25000 रूपये की चक्रीय निधि प्राप्त करने की पात्रता थी। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा 10000 रूपये बैंकों को भुगतान किया जाना था। चक्रीय निधि सदस्यों को ऋण और प्रति व्यक्ति ऋण की बढ़ोत्तरी के लिए भी थी।

241 समूहों को नगद साख का भुगतान नही किया गया तथा 251 समूहों को 1–6 माह के विलम्ब से भुगतान किया गया

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा स्वसहायता समूहों को 10000 रूपये की चक्रीय निधि स्वीकृत किए जाने के तुरंत बाद 15000 रूपये की नकद साख सीमा स्वीकृत करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको को निर्देषित किया (फरवरी 2000)। पांच नमूना जिलों के 17 चयनित विकासखंडों में से 14 द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, यह दृष्टिगत हुआ कि 492 स्वसहायता समूहों को चक्रीय निधि स्वीकृत की गई थी। इनमें से केवल 251 स्वसहायता समूहों को बैंकों के द्वारा नकद साख स्वीकृत की गई और वह भी एक से छः माहों के विलंब के बाद।

3.2.10 विषेष परियोजना

राज्यांष मुक्त नहीं किया गया

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 6000 सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए 600 स्वसहायता समूहों के गठन से आदिमजातियों के विकास पर लक्ष्यित ''वन धन'' नामक

एक परियोजना स्वीकृत की (मार्च 2000)। विषेष परियोजना की अनुमोदित लागत 16.50 करोड़ रूपये (ऋण : 9.00 करोड़ रूपये, एवं अनुदान : 7.50 करोड़ रूपये) थी जो केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में विभाजित होनी थी। भारत सरकार ने मार्च 2000 में 5.62 करोड़ रूपये के केन्द्रांष का 50 प्रतिषत 2.81 करोड़ रूपये की प्रथम किष्त मुक्त की। 187. 50 लाख रूपये का राज्यांष जो 15 दिनों के अंदर मुक्त किया जाना आवष्यक था, मुक्त नहीं किया गया (जून 2002)।

केन्द्रीय सहायता का कम उपयोग

गठित होने वाले 600 स्वसहायता समूह में से केवल 192 समूह आधारित प्रकरण 1999–2000 के दौरान बैंको को प्रस्तुत किए गए। बैंको ने वास्तव में केवल 169 समूहों को सहायता का वितरण किया जिसमें से 109 समूह विषेष परियोजना निधि से वित्तपोषित थे तथा 60 समूह नियमित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना निधि से वित्तपोषित थे। भारत सरकार से प्राप्त 2. 82 करोड़ रूपये में से केवल 66.62 लाख रूपये (23.66 प्रतिषत) अनुदान के रूप में मार्च 2001 तक 109 स्वसहायता समूहों को वितरित किए गए। 2.15 करोड़ रूपये की शेष धनराषि मार्च 2002 तक अव्ययित पड़ी थी। इस अव्ययित धनराषि पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बस्तर द्वारा 8.63 लाख रूपये का ब्याज अर्जित किया गया।

मार्च 2001 तक वन धन स्वसहायता समूहों का टर्न ओवर लगभग 18.74 करोड़ रूपये था और उनके द्वारा कमीषन के रूप में 1.32 करोड़ रूपये अर्जित किए गए। 2001–2002 के दौरान भारतीय आदिम जाति सहकारी विपणन विकास संध ने अधिप्राप्ति एवं मूल्य बढ़ाने में स्वयं को संबंद्ध नहीं किया क्योंकि वह 2000–2001 के दौरान अधिप्राप्त सामग्री का प्रबंध करने के लिए समर्थ नहीं था। परिणामस्वरूप स्वसहायता समूह अपनी लधु वनोपज बेचने हेतु समर्थ नहीं हुए।

विशेष परियोजना के अंतर्गत अधोसंरचना निधि का अनियमित उपयोग

इसके अतिरिक्त इस गैर–इमारती लकड़ी वनोपज के परिवहन हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बस्तर ने वन धन स्वसहायता समूहों के उपयोग के लिए अप्रैल 2000 में 55.51 लाख रूपये की लागत पर 14 ट्रक उपलब्ध कराए। इसी प्रकार, कांकेर जिला गामीण विकास अभिकरण ने भी 27.75 लाख रूपये की लागत के 7 ट्रक उपलब्ध कराए। इन ट्रकों के रजिस्ट्रेषन एवं बीमा पर भी 3.80 लाख रूपये तथा लघु वनोपज रखने हेतु निर्मित शेडों पर 161.73 लाख रूपये का व्यय किया गया। इस प्रकार स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की अधोसंरचना निधि में से 2.49 करोड़ रूपये का संपूर्ण व्यय अनियमित रूप से किया गया।

मार्च 2001 तक वन धन योजना संतोषजनक रूप से क्रियाषील थी, बाद में विफल हो गई क्योंकि भारतीय आदिम जाति सहकारी विपणन विकास संघ ने इससे स्वयं को अलग कर लिया और योजना को पर्याप्त सहयोग प्राप्त नहीं हुआ।

3.2.11 परिवीक्षण और मूल्यांकन

(i) 1999–2002 के दौरान नमूना जांच वाले 5 जिलों में से 4 जिलों में जिला स्तर पर अनुसूची के अनुसार बैठकों का आयोजन नहीं किया गया। 12 बैठकों के विरूद्ध 4 से 10 के मध्य कमी थी।

परिवीक्षाण की जानकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पास उपलब्ध नहीं थी विकासखंड अधिकारियों द्वारा क्षेत्र–भ्रमण कम किये गये

(ii) अध्यक्ष, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना संचालक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, परियोजना अधिकारी तथा परियोजना अर्थषास्त्री और अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्र–भ्रमणों के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण स्तर पर स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के परिवीक्षण संबंधी जानकारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के पास उपलब्ध नहीं थी। 1999–2002 के दौरान चार जिलों के 14 नमूना जांच किये गये विकासखंडों में विकासखंड अधिकारियों ने आवष्यक 10080 क्षेत्र–भ्रमणों के विरूद्ध परिवीक्षण एवं स्वरोजगारियों की परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन हेतु 4886 क्षेत्र–भ्रमण किये ।

(iii) राज्य शासन द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर मूल्यांकन अध्ययन संपन्न नहीं किया गया।

(iv) विकासखंड स्तर पर परियोजना, परिसंपत्तियां जनित आय आदि के विवरणों से सन्निहित एक विकास पत्रिका संधारित की जानी थी। ''विकास पत्रिका'' की तैयारी एवं उसके संधारण से संबंधित जानकारी क्रियान्वयन अभिकरणों के पास उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की प्रगति का परिवीक्षण जैसा कि आवष्यक था, नहीं हो सका। विकास पत्रिका तैयार न करने के कारण प्रस्तुत नहीं किये गये।

उपर्युक्त बिन्दु सितम्बर 2002 में शासन को भेजे गये थे, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जनवरी 2003) ।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.3 पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण हेतु औषधालय

विषेषताएं–

योजना का उद्देष्य राज्य के आदिवासी बहुल क्षेत्रों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था । यद्यपि 17.90 करोड़ रूपये की धनराषि दो वर्षों (2000–2002) में व्यय की गई थी, इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधोसंरचना का विकास संतोषप्रद नहीं था, इतना तक कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण का प्रथम चरण भी पूर्ण नहीं किया गया । परिणामतः एक्स–रे /षल्यक्रिया संबंधी सुविधाओं आदि का विस्तार नहीं हुआ । जिला अस्पताल (20–65 प्रतिषत) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (28 से 60 प्रतिषत) में विषेषज्ञों की अत्यन्त कमी के परिणामस्वरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बिस्तर उपयोग का प्रतिषत कम था । अट्ठाईस प्रतिषत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन रहे । कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां निम्नानुसार हैः

– बजट प्रावधान वास्तविक आवष्यकता से 53 प्रतिषत कम रहा ।

(कंडिका 3.3.4)

– ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवष्यक 170 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विरूद्ध केवल 114 केन्द्र स्थापित किए गए ।

(कंडिका 3.3.5)

– 3.90 करोड़ रूपये का व्यय करने के उपरांत 4 सौ बिस्तर वाले अस्पताल और एक उन्नयित (सौ से तीन सौ) बिस्तर वाले अस्पताल अपूर्ण रह गए ।

(कंडिका 3.3.6 (क) (प) एवं (पप))

– औषधियों के अनियमित क्रय पर 19.61 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय किया गया ।

कंडिका 3.3.9 (पप) (ख))

– महामारी की रोकथाम हेतु जीवन रक्षक औषधियों के न्यूनतम एवं अधिकतम भंडार निर्धारित नहीं किए गए । भंडारपाल विस्तृत सूची नियंत्रण में प्रषिक्षित नहीं किए गए ।

(कंडिका 3.3.9 (पपप))

– जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत किया गया व्यय भौतिक निष्पादनों के अनुरूप नहीं था ।

(कंडिका 3.3.11)

3.3.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ राज्य, अपने गठन (नवम्बर 2000) के पूर्व मध्य प्रदेष राज्य का एक भाग था । इसमें सम्मिलित 146 विकास खंडों में से 32.87 लाख वर्ग किलो मीटर क्षेत्रफल वाले 85 आदिवासी विकास खंड हैं । 1991 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 176.15 लाख थी, जिसमें से लगभग 33 प्रतिषत आदिवासी थे । इन वर्गों के कल्याण हेतु एक योजना ''पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु औषधालय'' प्रारंभ करते हुए राज्य बजट में विषेष प्रावधान किए गए । रोगियों को औषधियां एवं आहार सहित राज्य के पिछड़े जिलों के अस्पतालों का संपूर्ण व्यय आयोजनेत्तर व्यय के अंतर्गत वितपोषित है ।

संयुक्त मध्य प्रदेष शासन (जनवरी 1991) ने इस तरह के पिछड़े क्षेत्रों के लिए औषधालय हेतु बिना किसी विषिष्ट प्रावधान के उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल नामक स्वास्थ्य सुरक्षा की 5 स्तरीय प्रणाली अपनाई थी । योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां अन्य मदों के साथ राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में जिला अस्पतालों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (स्थापित और क्रियाषील) के संचालन पर व्यय की गई ।

3.3.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर योजना की परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण का दायित्व सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पास था । राज्य में योजना का क्रियान्वयन संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (संचालक) के द्वारा किया गया जिसकी सहायता संचालनालय स्तर पर दो संयुक्त संचालक और जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला अस्पताल के सिविल सर्जन सह अधीक्षक करते हैं ।

3.3.3 लेखापरीक्षा समावेषन

योजना, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 16 जिलों में संचालित थी, परन्तु अधिकतम आवंटन 5 आदिवासी बहुल जिलों अर्थात अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जषपुर और रायगढ़ को उपलब्ध कराए गए थे। संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रायपुर, में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जषपुर एवं रायगढ तथा अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ के जिला अस्पतालों के सिविल सर्जन सह अधीक्षक के कार्यालयों के साथ ही इन जिलों के सिविल अस्पताल जषपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना जांच फरवरी और अगस्त 2002 के मध्य संपन्न की गई । समीक्षा के अंतर्गत आवृत अवधि अप्रेल 1997 से मार्च 2002 तक थी ।

3.3.4 वित्त

बजट प्रावधानों और व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार थे :

(लाख रूपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय [⊗] (विभागीय)	बचत (–)/आधिक्य () (प्रतिषत)
नवम्बर 2000 से मार्च 2001	325.78	441.15	() 115.37 (35)
2001–2002	843.35	1348.64	() 505.29 (60)
योग	1169.13	1789.79	() 620.66 (53)

यह दृष्टिगत हुआ कि दोनों वर्षों में आवंटन आवश्यकता से 53 प्रतिषत की सीमा तक कम था ।

5[⊗⊗] नमूना जांच किये गये जिलों में बजट प्रावधान और व्यय निम्नानुसार था :

(लाख रूपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (–)/आधिक्य ()	प्रतिषत आधिक्य/बचत
1997–98	745.43	817.84	72.41 ()	10
1998–99	674.19	1065.65	391.46 ()	58
1999–2000	858.76	1049.26	190.50 ()	22
4/2000 से 10/2000	85719	769.13	88.06 (–)	10
11/2000 से 3/2001	247.67	425.53	177.86 ()	72
2001–2002	497.80	1131.03	633.23 ()	127
योग	3881.04	5258.44	1377.40 ()	

10 से 127 प्रतिषत तक का अधिक व्यय था , जिसका नियमितीकरण होना शेष था ।

3.3.5 राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा संस्थाओं की स्थापना

1974–75 में प्रारंभ किये गये न्यूनतम आवष्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण आहार,, पर्यावरणीय सुधार एवं जल प्रदाय के क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं का एक जाल बिछाया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में प्रति 3000 जनसंख्या के लिए एक उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्रति 20,000 जन संख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रति 80000 जनसंख्या के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित होना था ।

फरवरी 2003 में राज्य में स्वास्थ्य संस्थाओं की आष्यकता एवं स्थापना की स्थिति निम्नानुसार थीः–

आवश्यकता के 10 और 33 प्रतिषत के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में कमी

क्रम संख्या	श्रेणी	आवष्यकता	स्थापित	कमी (प्रतिषत)
1.	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	170	114	56 (33)
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	572	513	59 (10)
3.	उपस्वास्थ्य केन्द्र	3850	3818	32 (1)

⊗ विभागीय आंकड़े महालेखाकार के साथ मिलान नहीं किए गए

⊗⊗ अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, जषपुर और रायगढ़

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में क्रमषः 33 और 10 प्रतिषत की कमी थी ।
2001–2002 के दौरान 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 12 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने के लिए शासन से संस्वीकृतियॉ प्रतीक्षित थी (फरवरी, 2003) ।

3.3.6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन

(क) निर्माण

(*प*) शासन ने (अप्रैल 1998) 8 जिलों के 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जो बाद में छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित किये गये। प्रथम चरण में 13.45 लाख रूपये प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की लागत पर10 बिस्तरों वाले वार्डों, आपरेषन थियेटर एवं डार्क रूम निर्माण हेतु 5.25 करोड़ रूपये की प्रषासकीय स्वीकृति जारी की गई ।
नमूना जांच किये गये 5 जिलों में आने वाले 31 कार्यों के विवरण निम्नानुसार है :

(लाख रूपये में)

कम संख्या	जिला का नाम	कार्यों की संख्या	आवंटित राषि		जारी किए गए साख पत्र		किया गया व्यय	
			2000–01	2001–02	2000–01	2000–02	2000–01	2001–02
1.	अंबिकापुर	10	45.00	23.50	45.00	23.50	–	44.38
2.	दंतेवाड़ा	5	47.00	103.73	38.80	79.93	7.10	79.19
3.	जगदलपुर	9	58.00	145.23	34.00	76.00	5.00	128.18
4.	जशपुर	5	3.00	13.00	3.00	13.00	–	6.21
5.	रायगढ़	2	22.03	10.95	21.47	10.95	2.94	3.85
योग		31	175.03	296.41	142.27	203.38	15.04	261.81

2.77 करोड़ रूपये व्यय करने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण 2 1/2 वर्षों से भी अधिक समय से अपूर्ण पड़ा था ।

31 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से केवल दो पूर्ण किए गए, परन्तु ये भी विभाग को नहीं सौंपे गये । जगदलपुर में दरभा, रायगढ़ में धरमजयगढ़ और जषपुर में कुनकुरी में निर्माण कार्य स्थल की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभ नहीं किए गए । शेष 26 कार्य 4.17 करोड़ रूपये की स्वीकृत राषि के विरूद्ध 2.77 करोड़ रूपये व्यय करने के बाद ढाई वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत अभी भी प्रगति (सितम्बर 2002) में थे । भैरमगढ़ (दंतेवाड़ा) में एक कार्य ठेकेदार द्वारा विलंबित बताया गया तथा 5 कार्य (जगदलपुर) प्राक्कलनों के पुनरीक्षण की प्रतीक्षित स्वीकृति के कारण विलंबित थे ।

(*पप*) शासन ने क्रमष सीतापुर (2.38 करोड़ रूपये), वाड्रफनगर (2.22 करोड़ रूपये), दन्तेवाड़ा (2.50 लाख रूपये) और नारायणपुर (2 करोड़ रूपये) में 100 बिस्तर वाले चार अस्पतालों के निर्माण हेतु 1998 में स्वीकृति प्रदान की । इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ शासन ने रायगढ़ में 100 बिस्तर वाले अस्पताल को 300 बिस्तर वाले अस्पताल में उन्नयन हेतु 60 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की । स्थिति निम्न तालिका में प्रदर्षित विवरण के अनुसार है :

4 .एक सौ बिस्तर वाले अस्पताल 80 लाख रूपये व्यय करने के बाद अपूर्ण रह गए

(लाख रूपये में)

कम संख्या	100 बिस्तर वाले अस्पताल का	स्वीकृति का	स्वीकृत	अनुबंध के अनुसार पूर्णता	आवंटन	प्राप्त साख	मार्च 2002	अभ्युक्तियां

	नाम	दिनांक/वर्ष	राषि	की नियत दिनांक		पत्र	तक व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सीतापुर (अंबिकापुर)	28.8.98 (1998–99)	237.50	28.4.2003 28.4.2002	76.00	73.00	11.93	विलम्ब हेतु कोई कारण सूचित नहीं किए गए
2.	वाड्फनगर (अंबिकापुर)	28.8.98 (1998–99)	220.50				11.04	––तदैव––
3.	दंतेवाड़ा	15.9.98 (1998–99)	250	26.2.2004	134.90	86.14	39.59	निविदा को अंतिम रूप देने में देरी के कारण विलंब हुआ (8/2001)
4.	नारायणपुर (जगदलपुर)	15.9.98 (1998–99)	200.00	5.3.2004	28.00	21.00	17.43	पुनरीक्षित प्राक्कलन संचालक,स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर को भेजे गए (10/2001) स्वीकृति अभी प्रतीक्षित है
योग			**910.00**		**238.90**	**180.14**	**79.99**	
5.	जिला अस्पताल,रायगढ़ (100 बिस्तर वाले अस्पताल का 300 बिस्तर वाले अस्पताल में उन्नयन)	14.12.2000 (2000–2001)	60.00	8.1.2003	43.52	38.09	32.71	विलंब हेतु कोई कारण सूचित नहीं किए गए
महायोग			**970.00**		**282.42**	**218.23**	**112.70**	

यह दृष्टिगत हुआ कि 1998–99 के दौरान स्वीकृत चार कार्यो पर 2.39 करोड़ रूपये के आवंटन के विरूद्ध केवल 1.80 करोड़ रूपये के लिए साख–पत्र जारी किया गया तथा 79.99 लाख रूपये (45 प्रतिषत) व्यय किए गए (मार्च 2002) । जिला अस्पताल रायगढ़ के संबंध में 38.09 लाख रूपये का साख–पत्र जारी किया गया अैर 32.71 लाख रूपये व्यय किए गए (मार्च 2002) । अपूर्ण कार्यों ने स्थानीय निवासियों को चिकित्सा सुविधाओं से वंचित किया ।

(ख) वेतन एवं भत्ते पर परिहार्य व्यय

अद्योसंरचना के अभाव में उन्नयित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के वेतन एवं भत्ते पर 69.60 लाख रूपये का निष्फल व्यय

छत्तीसगढ़ के 8 जिलों के 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहित पूर्व राज्य में 65 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन के अतिरिक्त शासन ने प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए पदों (सहायक सर्जन–3, स्टाफ नर्स–4, रेडियोग्राफर–1, फार्मासिस्ट–कम स्टोरकीपर–1 और चतुर्थ श्रेणी–3) के सृजन की स्वीकृति भी दी गई (मार्च 1998) । 34 ♣सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 30 बिस्तर वाले वार्डों,

♣ अंबिकापुर–10, दंतेवाड़ा–5, जगदलपुर–9, जषपुर–5, रायगढ़–2, रायपुर–1, कांकेर–2

आपरेषन थिएटरों, डार्क रूमों/एक्स–रे रूम के निर्माण पूर्ण नहीं थे और/या क्लीनीकल पैथोलाजीकल एवं रेडियोलाजीकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं । अधोसंरचना सुविधाओं की अनुपलब्धता के बावजूद 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 13 सहायक सर्जन, 19 स्टाफ नर्स और 6 चतुर्थ श्रेणी नियुक्त किए गए तथा जून 1998 से मार्च 2002 के दौरान वेतन एवं भत्तों पर 69.60 लाख रूपये का परिहार्य व्यय किया गया।

3.3.7 जन शक्ति

(प) विषेषज्ञों की कमी

जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिना विषेषज्ञों के रह गए

सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में विषेषज्ञों और सहायक सर्जन के पदों का पुनर्वितरण स्वीकृत किया (1997) । छः जिला अस्पतालों में विषेषज्ञों [f]के 76 पद स्वीकत किए गए ।

तीन जिला अस्पतालों में विषेषज्ञों की रिक्तता की स्थिति निम्नानुसार थीः–

क्र. संख्या	जिला अस्पताल	विशेषज्ञों के स्वीकृत पद	कार्यरत स्थिति	रिक्तता की अवधि	रिक्तता का प्रतिषत
1.	अंबिकापुर	10	4 से 6	6 माह से 60 माह	40 से 60
2.	जगदलपुर	17	6 से 8	7 माह से 60 माह	53 से 65
3.	रायगढ़	5	4 से 5	44 माह	20

अंबिकापुर में पिछले 5 वर्षों के दौरान रेडियोलॉजी,एनेस्थीसिया, नाक, कान व गला, पैथोलॉजी और ओर्थोपेडिक्स विभाग में कोई विषेषज्ञ पदस्थ नहीं था ; यद्यपि प्रत्येक शाखा में एक पद स्वीकृत था । मनोविज्ञान, दन्त एवं चर्म शाखाओं में कोई भी विषेषज्ञ स्वीकृत नहीं था। इसी प्रकार रायगढ़ जिले में एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, नाक, कान एवं गला, ओर्थोपेडिक्स, मनोरोग ,दंत एवं चर्म शाखाओं में विषेषज्ञ पद स्वीकृत नहीं किए गए थे। जिला अस्पताल अंबिकापुर में 1998–2002 के दौरान चिकित्सा में विषेषज्ञ के स्वीकृत एक पद के विरूद्ध दो विषेषज्ञ पदस्थ थे, जबकि जिला अस्पताल जगदलपुर में चिकित्सा में विषेषज्ञ के स्वीकृत 2 पदों के विरूद्ध एक पद 1997–99 के दौरान तथा दोनों पद 1999–2002 के दौरान रिक्त रहे । जगदलपुर में यद्यपि नाक, कान एवं गला, ओर्थोपेडिक्स मनोरोग दंत और चर्म शाखाओं, में विषेषज्ञ का एक पद स्वीकृत था, कोई विषेषज्ञ पदस्थ नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त जगदलपुर में चिकित्सा, बाल चिकित्सक एवं गायनाकोलॉजी प्रत्येक में विशेषज्ञों के स्वीकृत दो पदो के विरूद्ध 1997–99

[f] अंबिकापुर–10, बिलासपुर–22, दुर्ग–17, जगदलपुर–17, रायगढ़ और राजनांदगांव–5
(चिकित्सा–10, सर्जरी–10, पाएडियाट्रिक्स–10, गायनाकोलॉजी–10, अनाएसथीसिया–5, आपथलमोलॉजी–6, रेडियोलॉजी–4, पैथोलॉजी–4, कान, नाक और गला–4, ऑर्थोपाएडिक–4, मनोरोग विषेषज्ञ–3, दंत–3, चर्म–3)

के दौरान चिकित्सा में केवल एक विषेषज्ञ पदस्थ था, जबकि बालचिकित्सक एवं गायनाकोलॉजी में दोनों पद 1999–2002 के दौरान रिक्त पड़े रहे ।

जषपुर सिविल अस्पताल में चिकित्सा, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स एवं गायनाकालॉजी में विषेषज्ञों के स्वीकृत चार पदों के विरूद्ध कोई विषेषज्ञ पदस्थ नहीं था ।

नमूना जांच किये गये 4 जिलों में अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 4 क्लीनिकल विषेषज्ञों की पदस्थापना के प्रावधान के विरूद्ध तीन जिलों के 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (दन्तेवाड़ा–4, जगदलपुर–4 एवं जषपुर–2) में 1997–2002 के दौरान सरकार द्वारा कोई पदस्थापना नहीं की गई यद्यपि उनके लिए 22 पद समुचित रूप से स्वीकृत थे । अंबिकापुर और रायगढ़ जिलों में 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केवल 27 पद स्वीकृत किए गए तथा प्रत्येक जिले में 1 से 3 चिकित्सक पदस्थ थे ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दन्तेवाड़ा ने बताया कि रोगी पास में ही स्थित अपोलो अस्पताल, बचेली और जिला अस्पताल जगदलपुर में इलाज को प्राथमिकता देते थे । उत्तर से पुष्टि होती है कि विषेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण रोगियों ने अन्य अस्पतालों में इलाज को प्राथमिकता दी ।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सहायक सर्जन की कमी

(क) लोक स्वास्थ्य केन्द्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमषः 12–45 प्रतिषत और 28–60 प्रतिषत के मध्य सहायक सर्जनों की कमी

नमूना जांच किये गये जिलों में 1997–2002 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सहायक सर्जन की कमी निम्नानुसार थीः

क्रम संख्या	जिला का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत					कमी का प्रतिषत
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	
1.	अंबिकापुर	65	45	53	57	52	53	12 से 31
2.	दंतेवाड़ा	38	30	29	29	29	21	21 से 45
3.	जगदलपुर	54	46	46	43	35	38	15 से 35
4.	जशपुर	27	–	–	17	17	16	37 से 41
5.	रायगढ़	42	35	32	33	35	36	14 से 24

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

क्रम संख्या	जिला का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत					कमी का प्रतिषत
	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	
1.	अंबिकापुर	73	36	37	38	43	45	38 से 51
2.	दंतेवाड़ा	52	22	22	21	21	23	56 से 60

3.	जगदलपुर	36	21	22	21	26	23	28 से 42
4.	जशपुर	34	–	–	17	19	20	41 से 50
5.	रायगढ़	34	23	23	22	22	21	32 से 38

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया (सितंबर 2002) कि पदस्थापनाएं/नियुक्तियां शासन स्तर पर की जाती है । मध्य प्रदेष और छत्तीसगढ़ के मध्य संवर्ग विभाजन को अंतिम रूप न देने से भी विलंब हुआ।

(iii) चिकित्सकविहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

80 प्रतिषत स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन थे, । अन्य कर्मचारियों पर किया गया व्यय 3.23 करोड़ रूपये निष्फल था ।

न्यूनतम आवष्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अमला – पेटर्न के अनुसार, प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को एक चिकित्सक उपलब्ध कराना था ।

7 जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 285♠ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 80♠♠ (28 प्रतिषत) केन्द्र 6 माहों से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए चिकित्सकविहीन रहे । इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु 1997–2002 के दौरान 15. 27 लाख रूपये की लागत की प्रदायित औषधियों को सम्मिलित करते हुए अन्य/गैर चिकित्सा अमले के वेतन एवं भत्तों पर 3.23 करोड़ रूपये का व्यय किया गया । जगदलपुर और रायगढ़ में सप्ताह में दो दिन चिकित्सक की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक प्रबंध किया जाना बताया गया, परन्तु कोई सारभूत अभिलेख उपलब्ध नहीं था ।

(iv) आंतरिक बिस्तर क्षमता की उपयोगिता

3 जिलों के जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के बिस्तर उपयोग से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नानुसार प्रकट हुआ :

(प्रतिषत में)

क्रम संख्या	जिला का नाम	1997	1998	1999	2000	2001
1.	अंबिकापुर					
	(प) जिला अस्पताल	51	78	89	88	77
	(पप) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	23	10	15	16	19
2.	जगदलपुर					
	(प) जिला अस्पताल	98	98	98	96	92
	(पप) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	48	25	26	27	21
3.	रायगढ़					
	(प) जिला अस्पताल	80	88	103	102	100
	(पप) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	9	12	5	7	4
4.	जशपुर					
	(प) सिविल अस्पताल	–	–	8	12	13
	(पप) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	–	–	7	7	5
5.	दंतेवाड़ा♠♠♠					

♠ अंबिकापुर–65, दन्तेवाड़ा–34, जगदलपुर–54, जषपुर–25, कांकेर–21, कोरबा–29, कोरिया–18, रायगढ़–39

♠♠ दन्तेवाड़ा–13, जगदलपुर–16, जषपुर–15, कांकेर–7, कोरबा–7, कोरिया–10 और रायगढ़–12

♠♠♠ दन्तेवाड़ा में 100 बिस्तर वाला अस्पताल भवन निर्माणाधीन था ।

	(घ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	15	12	11	18	18

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि जिला अस्पतालों में बिस्तर उपयोगिता का प्रतिषत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की तुलना में उच्चतर था जो मुख्य रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विषेषज्ञों की पदस्थापना न करना, 30 बिस्तर वाले वार्डों, ऑपरेषन थिएटर एवं डार्करूम का निर्माण पूर्ण न करना तथा रेडियोलॉजीकल सुविधाओं की अनुपलब्धता आदि के कारणों से था । वास्तव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से किसी भी केन्द्र में बिस्तर उपयोगिता 27 प्रतिषत को पार नहीं हुई सिवाय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जगदलपुर में, जहां यह 1997 में 48 प्रतिषत थी, इस प्रकार रोगी इलाज हेतु जिला अस्पताल अथवा किसी अन्य जगह जाने के लिए विवष थे ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर और जषपुर ने स्वीकार किया कि विषेषज्ञों/सहायक सर्जनों के अभाव के कारण गंभीर रोगी भर्ती होने के इच्छुक नहीं थे । तथापि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दंतेवाड़ा ने अस्पताल में भर्ती के लिए आदिवासी जनसंख्या की विरक्ति का उल्लेख किया । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ ने न्यून बिस्तर उपयोग के लिए रोगियों को पास के सिविल अस्पताल/जिला अस्पताल भेजा जाना बताया । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जषपुर के अनुसार यहॉ संपूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता तथा क्षेत्र में एक मिषन अस्पताल की उपलब्धता को इसका कारण बताया ।

3.3.8 एक्स–रे मशीनों पर निष्क्रिय परिव्यय

(क) 41 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1.00 लाख रूपये प्रति डार्क रूम/एक्स–रे रूम की लागत पर 117 डार्क रूम/एक्स–रे रूम निर्माण हेतु संस्वीकृति जारी की गई । तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि 16 स्वीकृत कार्यों में से 6 प्रारंभ नहीं किए गए, 3 पूर्ण नहीं किए गए तथा 7 विभाग को सौंपे गए थे। ये कार्य 3 से 9 माहों के विलंब के बाद सौंपे गए थे। सौंपे जाने में विलंब के लिए कोई कारण सूचित नहीं किए गए थे।

(ख) 10 जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 52[♦] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सितंबर 1995 और 1998–99 के मध्य क्रय की गई 87.75 लाख रूपये लागत की एक्स–रे मशीन डार्क रूमों के अभाव (23), रेडियोग्राफरों के अभाव (3), मरम्मत के अभाव (7) तथा डार्क रूम एवं रेडियोग्राफरों (19) के अभाव में उपयोग में नहीं लाई गई ।

8 रेडियोग्राफरों की निष्क्रियता का अभिप्राय 14.36 लाख रूपये का निरर्थक व्यय

(ग) लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 8 रेडियोग्राफर[♦♦] वहां पदस्थ किए गए जहां एक्स–रे मशीने अप्रेल 1997 से मार्च 2002 के दौरान क्रियाषील अवस्था में नहीं थी। उनके वेतन पर, 4.36 लाख रूपये व्यय किए गए, जो निरर्थक था । उनकी सेवाओं का अन्यत्र कहीं भी उपयोग नहीं किया गया ।

3.3.9 औषधियां

♦ अंबिकापुर–6, बिलासपुर–5, दंतेवाड़ा–3, दुर्ग–3, जगदलपुर–10, जषपुर–8, कांकेर–6, कवर्धा–3, रायपुर–1 और रायगढ़–7

♦♦ दंतेवाड़ा–1, जगदलपुर–1, जषपुर–1, रायगढ़–3, और बिलासपुर–2

(घ) प्रति रोगी मानदंड

सरकारी आदेषों में प्रति वाह्य रोगी और आंतरिक रोगी क्रमषः 0.50 रूपये और 2.50 रूपये प्रतिदिन अनधिक दरों पर औषधियां प्रदाय करने हेतु प्रावधान है । तीन जिला अस्पतालों और एक सिविल अस्पताल के अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि औसत व्यय 3.10 रूपये से 28.40 रूपये तक था ।

मानदंड अक्टूबर 1980 में निर्धारित किए गए थे और 22 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी संषोधित नहीं हुए तथा इसके बावजूद कि लोक लेखा समिति को आष्वासन दिया गया था (अगस्त 1993)। इस प्रकार औषधियों के क्रय हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को आवंटित कोई भी धन राषि, व्यय हेतु किसी वास्तविक मानदंड निर्धारित किए बिना ही व्यय की जा रही थी ।

(ii) औषधियों का क्रय

सरकार के द्वारा अगस्त 2001 में बनाई गई क्रय नीति के अनुसार सरकारी उपक्रमों द्वारा निर्मित औषधियां उनसे तथा अन्य औषधियां प्रतिष्ठित फर्मों से क्रय की जानी थीं । ये क्रय भंडार क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए तथा जिला समिति के द्वारा समुचित अनुमोदन के पष्चात किए जाने थे । औषधियों के क्रय में निम्नलिखित अनियमितताएं दृष्टिगत हुई :

(क) संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 8.33 लाख[♦♦♦] रूपये मूल्य की औषधियां निविदायें/कोटेशन आमंत्रित किए बिना स्थानीय फर्मों से क्रय की गई । औषधियों की समूह संख्या और कालातीत तिथि क्रय देयकों/भंडार पंजियों में गायब थी ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दंतेवाड़ा ने बताया कि आपूर्तिकर्त्ता निर्माता कंपनी का अधिकृत वितरक था, पर यह अभिलेख पर नहीं था । औषधियां की समूह संख्या और कालातीत तिथि अभिलिखित न होने का कारण चूक बताया गया ।

(ख) इसके अतिरिक्त सभी सरकारी उपक्रमों से मूल्य सूचियां प्राप्त नहीं करने के परिणामस्वरूप उच्चतर दरों पर औषधियों के क्रय में 19.61[₡] लाख रूपये का अधिक व्यय सन्निहित था ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वासथ्य अधिकारी , दंतेवाड़ा ने बताया कि अत्यावष्यक प्रकरणों में उच्चतर दरों पर क्रय किये गये थे । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जगदलपुर ने बताया कि उपक्रमों की संषोधित दरों की अनुपलब्धता के कारण अधिक भुगतान हुआ । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ ने सूचित किया कि गुणवत्ता के आधार पर क्रय किये गये थे ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अंबिकापुर द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद संचालक ने बताया (मई 2002) कि संबंधित आपूर्तिकर्त्ता से वसूली प्रभावित की जावेगी ।

♦♦♦ अंबिकापुर 6.23 लाख और दंतेवाड़ा 2.10 लाख

₡ अंबिकापुर–0.52 लाख रूपये, दन्तेवाड़ा–0376 लाख रूपये, जगदलपुर–0.48 लाख रूपये, जषपुर–2.32 लाख रूपये और रायगढ़–15.91 लाख रूपये

(iii) जीवन रक्षक औषधियों का स्कंध

जीवन रक्षक औषधियों का न्यूनतम एवं अधिकतम भंडार निर्धारित नहीं किए गए

सरकारी आदेषों (अगस्त 1984) के अनुसार प्रत्येक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन को यह सुनिष्चित करना था कि महामारी की रोकथाम हेतु अस्पतालों के भंडार में जीवन रक्षक औषधियां एवं दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थीं ।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, तथा सिविल सर्जन द्वारा न तो जीवन रक्षक औषधियों एवं दवाइयों की सूची और न ही न्यूनतम एवं अधिकतम भंडार की सीमा निर्धारित की गई थी। इन सभी इकाइयों के भंडारपाल सामग्री विवरण सूची नियंत्रण में प्रषिक्षित नहीं थे ।

(iv) एम्बुलेंस

अस्पताल एम्बुलेंस का दुरूपयोग

नवंबर 1980 के सरकारी अनुदेषों में निर्दिष्ट था कि अस्पताल एम्बुलेंस का उपयोग (।) रोगियों के परिवहन और (2) चिकित्सकों एवं अमले को उनके कर्त्तव्य समय के पश्चात निवास स्थान से अस्पताल में अत्यावष्यकता मामलों में उपस्थित होने के लिए उनके परिवहन हेतु किया जाना था ।

जिला अस्पताल जगदलपुर, सिविल अस्पताल जषपुर और 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लेखापरीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 7 एम्बुलेंस ने कुल 1.23 लाख किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें से रोगियों के परिवहन हेतु केवल 2 प्रतिषत, चिकित्सकों एवं नर्सों के परिवहन हेतु 14 प्रतिषत तथा अन्य प्रयोजनों (योजनाओं के क्रियान्वयन) हेतु 84 प्रतिषत था । किसी भी जिले में रोगियों से कोई वसूली प्रभारित नहीं की गई ।

3.3.10 आहार

प्रति रोगी आहार की लागत 8.00 रूपये प्रतिदिन निर्धारित थी, जो बाजार दरों के अनुसार 10 से 15 प्रतिषत बदल सकती थी । यह मानदंड जो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद संषोधित होना था 19 वर्षों के व्यतीत होने के उपरान्त भी संषोधित नहीं किया गया ।

निम्नलिखित अनियमितताएं दृष्टिगत हुई :

(i) नमूना जांच किये गये 5 जिलों के 52 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों[६६] को दिये गये 22.07 लाख रूपये के बजट आवंटन में से केवल 6.36 लाख रूपये उपयोग किए जा सके।

ग्रामीण आंतरिक रोगियों को रसोई गृह भवन/खाना पकाने वाले अमले के अभाव में निर्धारित आहार उपलब्ध नहीं कराया जा सका ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जगदलपुर ने बताया कि रसोइया एवं सहायक की पदस्थापना न करने के कारण बजट प्रावधान प्रयुक्त नहीं हो सका । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दन्तेवाड़ा ने बताया कि भोजन पकाने के लिए कोई स्थान नहीं था और रोगी भी अपनी सामाजिक परंपरा के अनुसार अस्पताल से पका भोजन लेने के इच्छुक नहीं थे । उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि आंतरिक रोगियों को दूध/ब्रेड या फल उपलब्ध कराए जा सकते थे । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,

[६६] अंबिकापुर–18, दन्तेवाड़ा–9, जगदलपुर–11, जषपुर–7 और रायगढ़–7

जषपुर ने बताया कि मामला संचालक के ध्यान में लाया गया, जबकि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अंबिकापुर ने बताया कि आहार पर व्यय केवल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ही किया गया था । अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वितरण न करने के लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ ने आंतरिक रोगियों की अनुपलब्धता को बजट के कम उपयोग का कारण प्रतिपादित किया जो आंतरिक रोगियों के अभिलेखित आंकड़ों के विपरीत है ।

(ii) 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जहां आंतरिक रोगियों को आहार प्रदाय नहीं किया जा रहा था, 7 रसोइए और एक सहायक कार्यरत थे, जिनके लिए 12.76 लाख रूपये का व्यय किया गया जो अनियमित था ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दंतेवाड़ा, जषपुर और रायगढ़ ने बताया (मई 2002 एवं सितंबर 2002) कि रसोइया एवं सहायक की सेवायें उनके पद के समकक्ष अन्य कार्य पर उपयोग की गई । संचालक द्वारा भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के कथनों का, समर्थन किया गया । परन्तु चूँकि भोजन पकाये और परोसे नहीं गए थे, उनके वेतन पर किया गया व्यय निरर्थक था ।

3.3.11 जीवन ज्योति चल औषधालय योजना

जीवन ज्योति योजना व्यय भौतिक निष्पादन के अनुरूप नहीं था ।

दूरवर्ती एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से जीवन ज्योति चल औषधालय योजना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन वर्ष 1988–89 के दौरान प्रारंभ की गई । प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को एक चल इकाई उपलब्ध कराई जानी थी ।

प्रत्येक चल इकाई को एक सप्ताह में एक विकास खंड में छः हाट बाजारों (साप्ताहिक बाजार) में भ्रमण आवष्यक था और स्थल पर चिकित्सा इलाज उपलब्ध कराना एवं गंभीर और अत्यावष्यक मामले में रोगियों को अस्पताल पहुंचाना था जहां समुचित इलाज हेतु सुविधाएं विद्यमान थीं । इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक चल इकाई को एक चिकित्सक, स्टाफ नर्स, कंपाउण्डर या ड्रेसर एवं चतुर्थ श्रेणी उपलब्ध कराए जाने थे और वार्षिक व्यय करने हेतु प्रावधान विद्यमान था (पेट्रोल–तेल आदिः 25000 रूपये, दवाइयांः 30000 रूपये नैमेत्तिकः 10000 रूपये) ।

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि हाट बाजारों में लक्षित भ्रमणों के विरूद्ध उपलब्धियां निम्नानुसार थी :

क्रम संख्या	जिला का नाम	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	प्रति सप्ताह प्रति विकासखंड 6 भ्रमणों का लक्ष्य (52×6 ×312)	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01	2001–02	योग	सम्पूर्ण भौतिक निष्पादन का प्रतिषत
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी				वास्तविक भ्रमणों की संख्या (प्रतिषत)						

1.	अंबिकापुर	8	2496	उपलब्ध नहीं				1706 (68)		
2.	दंतेवाड़ा	10	3120	♣	♣	♣	994 (32)	1048 (34)		
3.	जगदलपुर	22 1998–99 तक एवं 1999–2000 से 2001–2002 तक	6864 2184	2430 (35)	2062 (30)	– 1214 (50)	– 889 (40)	– 882 (40)		
4.	जशपुर	3	936	713 (77)	696 (75)	725 (78)	663 (71)	682 (73)		
5.	रायगढ़	3	936	242 (26)	301 (32)	319 (34)	336 (36)	231 (25)		
योग				**3385**	**3059**	**2258**	**2882**	**4549**		
भ्रमणों के लक्ष्य				8736	8736	4056	7176	9672	38376	42
वास्तविक भ्रमण				3385	3059	2258	2882	4549	16133	

इस प्रकार रायगढ़ में 25 (2001–2002) से अंबिकापुर में 68 (2001–2002) तक उपलब्धि थी । कुल मिलाकर भ्रमणों का प्रतिशत 42 प्रतिशत था ।

1997–2002 के दौरान नैमेत्तिक, पेट्रोल, तेल आदि और दवाइयों के अंतर्गत आवंटन/व्यय के विवरण निम्नानुसार थेः–

(रूपये लाख में)

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)	नैमित्तिक		पेट्रोल तेल		दवाइयां		व्यय का सम्पूर्ण प्रतिषत
		आवंटन	व्यय (प्रतिषत)	आवंटन	व्यय (प्रतिषत)	आवंटन	व्यय (प्रतिषत)	
1.	अंबिकापुर	5.10	3.05 (60)	13.24	9.64 (73)	11.39	10.78 (95)	
2.	दंतेवाड़ा	2.57	1.33 (52)	9.46	8.41 (89)	15.99	14.44 (90)	
3.	जगदलपुर	3.44	3.44 (100)	10.06	10.06 (100)	13.37	11.75 (88)	
4.	जशपुर	0.33	0.31 (94)	0.71	0.71 (100)	0.09	0.03 (33)	
5.	रायगढ़	2.94	1.97 (67)	5.40	5.28 (98)	8.12	8.01 (99)	
योग		**14.38**	**10.10**	**38.87**	**34.10**	**48.96**	**45.01**	**87**

इस प्रकार 33 से 100 प्रतिषत तक निधियों का उपयोग यह दर्षाता है कि नैमेत्तिक, पेट्रोल तेल और दवाइयों पर व्यय, चलित इकाइयों के भौतिक भ्रमणों की तुलना में ऊपर की ओर था ।

चार जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि वाहनों की अनुपलब्धता, चिकित्सकों की कमी, ऊबड़–खाबड़ सड़कें एवं वर्षा ऋतु के दौरान स्थानों की पहुंच विहीनता के कारण योजना प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं हो सकी ।

3.3.12 निरीक्षण और परिवीक्षण

♣ वर्ष 1997–98 से 1999–2000 के लिए दंतेवाड़ा के आंकड़े जगदलपुर के आंकड़ों में सम्मिलित हैं

मध्य प्रदेष चिकित्सा नियमावली में कि संचालक को वर्ष में एक बार प्रत्येक जिला अस्पताल का निरीक्षण कर निरीक्षण टीप सिविल सर्जन को जारी करने हेतु आग्रह किया गया। सिविल सर्जन को प्रत्येक माह जिला अस्पताल की एक शाखा का निरीक्षण करना चाहिए ताकि प्रत्येक शाखा प्रत्येक छः माह में एक बार निरीक्षित की गई हो ।

lapkyd@fl foy ltZu }kjk dksbZ fujh{k.k

राज्य के गठन के समय से नमूना जांच किये गये जिलों में संचालक द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन के कार्यालयों का कोई निरीक्षण संपन्न नहीं किया गया । तदापि, संचालक ने सूचित किया कि उसके द्वारा निरीक्षण किए गए थे, परन्तु मौखिक निर्देष ही दिए गए और कोई निरीक्षण टीप जारी नहीं की गई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन के ऊपर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए संचालक द्वारा कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई । इस प्रकार संचालनालय स्तर पर नियंत्रण का अभाव था।

3.3.13 निष्कर्ष

योजना पिछड़े विषेषकर आदिमजाति क्षेत्रों में रहने वाली जनता को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने के उच्च आदर्ष के साथ प्रारंभ की गई । यह उद्देष्य अपर्याप्त बजट प्रावधान एवं बुनियादी अधोसंरचना के पूर्ण न होने के कारण प्राप्त नहीं हो सका । 3.90 करोड़ रूपये के व्यय के उपरांत भी चार 100 बिस्तर वाले अस्पताल, एक उन्नयित अस्पताल एवं 26 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन अब भी पूर्ण किए जाने थे । विषेषज्ञों की संख्या अपर्याप्त थी क्योंकि जिला अस्पतालों में 6 से 60 माहों के लिए 20 से 65 प्रतिषत पद रिक्त पड़े थे । इसके अतिरिक्त, अट्ठाईस प्रतिषत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन चल रहे थे । इसी प्रकार रेडियोलाजिकल सुविधाओं की विसंगति थी । रसोई गृह/रसोइयों के अभाव में ग्रामीण आन्तरिक रोगियों को निर्धारित आहार उपलब्ध नहीं हो सका, परिणामस्वरूप आवंटन का 71 प्रतिषत समर्पित हो गया ।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.4 विशेष पोषाहार कार्यक्रम

विशेषताएँ

पूरक पोषाहार कार्यक्रम 6 वर्ष वय से कम के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाती माताओं में प्रोटीन कैलोरी कुपोषण को नियंत्रित करने हेतु प्रारंभ किया गया। यद्यपि कार्यक्रम 1970–71 से प्रचालन में था, यह अपने कियान्वयन में कई कमियों से यह ग्रसित हुआ। निधियों के अपर्याप्त प्रावधान और हितग्राहियों के अपर्याप्त सर्वेक्षण के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 40 और आदिवासी क्षेत्रों में 75 के मानदंड के विरूद्ध ग्रामीण क्षेत्रों में 23, शहरी क्षेत्रों मे 16 और आदिवासी परियोजना क्षेत्रों में 28 प्रतिशत समावेशन था। हितग्राहियों को वर्ष में कम से कम 300 दिवसों के लिए पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना आवष्यक था जबकि 2001–2002 के दौरान 19286 में से 558 आंगनवाडियों में बिलकुल उपलब्ध नहीं कराया गया तथा 4604 आंगनवाडियों में 200 से कम दिवसों के लिए उपलब्ध कराया गया। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का समावेशन सात प्रतिशत के नीचे था । कार्यकम कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाती माताओं की स्वास्थ्य स्थिति सुधारने के उद्देष्य की प्राप्ति में विफल रहा।

..आवंटन का बत्तीस प्रतिषत अप्रयुक्त रह गया।

(कंडिका 3.4.5 (d))

23.45 लाख पात्र बच्चों और माताओं के विरूद्ध केवल 10.41 लाख समाविष्ट हो सके।

(कंडिका 3.4.6 (x) (i))

.. 3 से 11 प्रतिषत आंगनवाडियों ने पूरक पोषाहार वितरित नहीं किया।

(कंडिका 3.4.7 (ii))

.. खाद्यान्न प्रसंस्करण में आंगनबाडियों को प्रभावित करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से 8. 97 लाख रूपये की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.4.8 (v))

..30 विषेष पोषाहार केन्द्रों को आंगनवाडियों में परिवर्तन न करने के फलस्वरूप 34.86 लाख का परिहार्य व्यय।

(कंडिका 3.4.9 (i))

..प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत 2001–2002 के दौरान मुक्त किए गए 12 करोड़ रूपये में से 7.73 करोड़ रूपये अप्रयुक्त रह गये

(कंडिका 3.4.10 (i))

3.4.1 प्रस्तावना

विषेष पोषाहार कार्यक्रम 6 वर्ष वय से कम के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाती माताओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के उद्देष्य से भारत सरकार द्वारा 1970–71 में प्रारंभ किया गया तथा भारत सरकार द्वारा

चलाई जा रही एकीकृत बाल विकास सेवाओं की एक घटक के पूरक पोषाहार कार्यक्रम के रूप में न्यूनतम आवष्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य प्रभाग को अंतरित किया गया।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य निम्न आय वर्ग के परिवारों के 6 माह से 6 वर्ष वय के बीच के बच्चों के लिए 300 कैलोरी एवं 10 ग्राम प्रोटीन तथा गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाती माताओं के लिए 600 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन के पोषक तत्व उपलब्ध कराते हुए हितग्राहियों की पोषाहार एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना था। पूरक पोषाहार एक वर्ष में 300 दिन दिया जाना था ।

ये उद्देष्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या और आदिवासी क्षेत्रों में 300 से 700 के बीच की जनसंख्या के लिए आंगनवाड़ियों के माध्यम से प्राप्त होने थे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 40 प्रतिषत और आदिवासी क्षेत्रों में 75 प्रतिषत 6 वर्ष वय के नीचे के बच्चों एवं सभी दूध पिलाती व गर्भवती माताओं का समावेषन आषान्वित किया गया।

3.4.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन, समन्वय और परिवीक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के विषेष सचिव सह संचालक (संचालक) उत्तरदायी थे । जिला स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन और समन्वय के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा विकासखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी थे। पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए सेवाओं के निर्वहन का केन्द्र बिन्दु आंगनवाड़ी थी। इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नवंबर 2000 तक 152 चालू परियोजनाएं (20289 आंगनवाडियॉ), कोआपरेटिव फार अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर (केयर) परियोजनाओं (15775 आंगनवाडियों) और 35 गैर–केयर परियोजनाओं (4514 आंगनवाडियों) में विभाजित थी। इसके अतिरिक्त सरगुजा एवं राजनांदगांव जिलों में क्रमषः 30 एवं 55 विषेष पोषाहार केन्द्र क्रियाषील थे जिनका एकीकृत बाल विकास सेवाओं के साथ संविलयन होना शेष था।

3.4.3 लेखापरीक्षा समावेषन

संचालक, रायपुर, चार जिलों अर्थात दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और सरगुजा के जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में 8427 आंगनवाडियों सहित 63 परियोजनाओं के 1997–2002 की अवधि के अभिलेखों की नमूना जांच अप्रैल से मई 2002 के दौरान संपन्न की गई। दृष्टिगत हुए मुख्य बिन्दु आगामी कंडिकाओं में उल्लिखित किये गये हैं।

3.4.4 क्रियान्वयन/वित्तपोषण

(i) क्रियान्वयन

जनगणना 2001 के अनुसार 34.70 लाख 6 वर्ष वय से कम के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तथा 8.32 लाख दूध पिलाती माताओं की कुल जनसंख्या में से पात्र हितग्राहियों की संख्या 18.95 लाख बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं तथा 4.50 लाख दूध पिलाती माताएं संगणित की गई।

(ii) वित्तपोषण

117 केयर परियोजनाओं के हितग्राहियों के लिए पोषक खाद्यान्न निःषुल्क प्रदाय किया गया। इन परियोजनाओं के लिए 0.35 रूपया प्रति हितग्राही प्रतिदिन (केयर खाद्यान्न के परिवहन हेतु 0.15 रूपया और ईंधन एवं मसालों हेतु 0.20 रूपया) की दर पर तथा 35 गैर केयर परियानाओं के हितग्राहियों के लिए स्थानीय व्यवस्था से पूरक पोषाहार खाद्यान्न के प्रदाय हेतु एक रूपया प्रति हितग्राही प्रतिदिन की दर पर बजट प्रावधान किया जाना था। तदनुसार, 23.45 लाख हितग्राहियों (17.02 लाख : केयर और 6.43 लाख : गैर केयर) के लिए वर्ष में 300 दिवसों हेतु संगणित 37.16 करोड़ रूपये (केयर हितग्राहियों हेतु 17.81 करोड़ रूपये और गैर केयर हितग्राहियों हेतु 19.29 करोड़ रूपये) की निधियां आवष्यक थीं।

3.4.5 बजट परिव्यय और व्यय

अनुचित कार्य योजना के कारण 20.76 करोड़ रूपये की संचयित बचत

(क) बजट आवंटन और व्यय के विवरण निम्नानुसार सूचित किये गये थे :

(लाख रूपये में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	ब्चत (–)	प्रतिशत
1997–98	1047.67	551.54	(–) 496.13	47
1998–99	764.92	576.63	(–) 188.29	25
1999–2000	740.12	596.32	(–) 143.80	19
2000–2001[रु]	441.99 (10/2000 तक)	218.57	(–) 223.42	27
	924.55 (नवंबर से मार्च)	783.36	(–) 141.19	
2001–2002	2641.86	1758.27	(–) 883.59	33
योग	**6561.11**	**4484.69**	**(–) 2076.42**	**32**

निम्नलिखित टिप्पणियां की गई :–

(i) 37.16 करोड़ रूपये की आवश्यकता के विरूद्ध राज्य सरकार ने 25. 77 करोड़ रूपये ही उपलब्ध कराए (प्रषासनिक प्रभार छोड़कर) जो 300 दिवस की प्रतिबद्धता के विरूद्ध 208 दिवसों के लिए पर्याप्त था ।

(ii) मानदंड के अनुसार कम आवंटन के बावजूद 19 से 47 प्रतिषत के मध्य अनवरत बचतें हितग्राहियों के कम समावेषन और पूरक पोषाहार प्रदान किए गए दिवसों की कम संख्या को दर्शाता है। संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 827 से 4675 आंगनवाडियां अप्रचालित रहीं, जिससे भी भारी बचतें हुईं। संचालक ने बताया कि केयर खाद्यान्न की अनुपलब्धता और अमले की कमी इन भारी बचतों के लिए मुख्य कारण थे जबकि नमूना जांच के जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने (i) नमक एवं गुड के क्रय में विलंब (ii) केयर खाद्यान्न की आपूर्ति में व्यवधान एवं अपर्याप्त आपूर्ति तथा (iii) जिला प्राधिकारियों के द्वारा निधियों के पुनरावंटन में विलंब को बचतों का कारण ठहराया। इससे स्पष्ट है कि पूरे 300 दिवसों के लिए सभी आंगवाडियों का प्रचालन सुनिष्चित करने में संचालक विफल रहा।

(iii) भारत सरकार द्वारा निर्धारित ईंधन, नमक एवं गुड के लिए 0.20 रूपया प्रति हितग्राही प्रति दिन के मानदंड से संगणित 500 रूपये प्रति आंगनवाडी प्रति माह (प्रति आंगनवाडी में 100 हितग्राही की गणना करते

[रु] छत्तीसगढ़ राज्य में आवंटन नवंबर 2000 से अर्थात इसके गठन की तिथि से प्रारंभ किया गया।

हुए) के विरूद्ध राज्य सरकार ने केयर परियोजनाओं (परियोजना मुख्यालय से आंगनवाडियों तक परिवहन : 50 रूपये, पकाने के लिए ईंधन : 125 रूपये और नमक एवं गुड़ : 125 रूपये) में 25 पोषाहार दिवसों के लिए 300 रूपये प्रति आंगनवाडी प्रतिमाह सूचीबद्ध हितग्राहियों की वास्तविक संख्या को ध्यान में रखे बिना निर्धारित किये। 0.12 रूपया प्रति हितग्राही प्रतिदिन की संगणना समग्र रूप से अपर्याप्त थी।

(ख) निधियों का व्यपवर्तन

फर्नीचर बर्तन आदि के क्रय हेतु 95.76 लाख रूपये का व्यपवर्तन

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी के लिए 1000 रूपये का अनावर्ती व्यय आधारभूत उपकरण के क्रय हेतु ग्राह्य था। आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, भोपाल ने पूरक पोषाहार हेतु आवंटित 95. 76 लाख रूपये (1997–98) फर्नीचर, दरी, बर्तन आदि के क्रय पर अनियमित रूप से व्यपवर्तित किए। निधियों के व्यपवर्तन के कारण 13069 आंगनवाड़ियों में हितग्राही योजना के लाभ से वंचित हो गए।

3.4.6 कार्यक्रम क्रियान्वयन

(क) आंगनवाड़ियों की स्थापना

स्वीकृत और क्रियाषील आंगनवाड़ियों की संख्या निम्नानुसार थी :–

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत आंगनवाड़ियों की संख्या	क्रियाषील आंगनवाड़ियों की संख्या
1997–98	131	17744	13069
1998–99	152	20289	16781
1999–2000	152	20289	17243
2000–2001	152	20289	19084
2001–2002	152	20289	19462

मार्च 2002 तक स्वीकृत 20289 आंगनवाड़ियों में से 827 आंगनवाड़ियों में पूरक पोषाहार का वितरण अभी भी प्रारंभ किया जाना था (मार्च 2002)।

(ख) हितग्राहियों का सर्वेक्षण और पहचान

परियोजना क्षेत्र में पात्र हितग्राहियों की पहचान के लिए समस्त परिवारों का सर्वेक्षण संपन्न किया जाना था और पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु उन्हें सूचीबद्ध करना था। इस सर्वेक्षण का प्रत्येक तिमाही में एक बार पुनः सर्वेक्षण के द्वारा अनुसरण किया जाना था। सर्वेक्षित, पहचानित एवं सूचीबद्ध हितग्राहियों की राज्य स्तरीय स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गई।

नमूना जांच किये गये 4 जिलों में 1997–2002 के दौरान पात्र, पहचानित एवं सूचीबद्ध बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाती माताओं की कुल जनसंख्या की स्थिति निम्नानुसार थी :

(लाख में)

वर्ष	बच्चों/माताओं की जनसंख्या	सर्वेक्षित हितग्राही (प्रतिषत)	पहचानित एवं सूचीबद्ध हितग्राही (प्रतिषत)
1997–1998	17.65	4.50 (25)	3.34 (19)
1998–1999	17.96	7.54 (42)	5.84 (33)
1999–2000	18.27	7.74 (42)	5.67 (31)
2000–2001	18.59	9.49	6.71

		(51)	(36)
2001–2002	18.91	9.54 (50)	6.92 (37)

9.37 लाख हितग्राही अनावृत छोड़ दिए गए

(i) उपर्युक्त तालिका से प्रकट हुआ कि 18.91 लाख जनसंख्या (बच्चे एवं माताएं) के विरूद्ध 9.37 लाख असर्वेक्षित जनसंख्या (50 प्रतिषत) को छोड़कर 9.54 लाख सर्वेक्षित थे और 6.92 लाख हितग्राही सूचीबद्ध थे। संपादित पुनः सर्वेक्षण भी अप्रभावकारी थे क्योंकि 1998–2000 के दौरान 42 प्रतिषत एवं 2000–2002 के दौरान 50 प्रतिषत सर्वेक्षण की प्रतिशतता शेष रही।

(ii) दुर्ग, जगदलपुर और सरगुजा जिलों में 4414 ग्रामों में से विद्यमान आंगनवाड़ियों के दूरवर्ती क्षेत्रों में स्थित 780 लघु ग्रामों, टोला एवं फालिया के परिवारों का सर्वेक्षण नहीं किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्ग और जगदलपुर ने बताया (अप्रैल/मई 2002) कि सर्वेक्षण केवल उन ग्रामों में किया गया जहां आंगनवाड़ियां वास्तव में स्थित थी और लगे हुए 'टोला' 'फालिया' पहाड़ी पट्टी में होने के कारण छोड़ दिए गए जबकि जिला कार्यक्रम अधिकारी सरगुजा ने निश्चित कारण प्रस्तुत नहीं किए।

(iii) सर्वेक्षण करने के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी को आधारभूत उपकरण अर्थात् भारतोलन यंत्र, कुपोषण का स्तर सुनिष्चित करने के लिए तिरंगा पट्टियां और स्वास्थ्य स्थिति की प्रगति नियंत्रण हेतु विकास चार्ट प्रदाय किया जाना था। राज्य के 19462 आंगनवाड़ियों में 11753 भारतोलन यंत्र और 11784 विकास चार्ट प्रदाय किए गए। तिरंगा पट्टियां बिल्कुल ही प्रदाय नहीं की गई और 40 प्रतिषत आंगनवाड़ियॉ आधारभूत उपकरण के बिना संचालित की जा रही थी। सरगुजा जिले में प्रदायित (नवंबर 1999) 3308 भारतोलन यंत्र खराब बताए गए। आवष्यक संख्या में आधारभूत उपकरण की अनुपलब्धता के कारण हितग्राहियों की पहचान प्रभावी ढंग से नहीं की गयी।

(ग) हितग्राहियों का समावेषन

आदिवासी क्षेत्रों में हितग्राहियों का अत्यल्प समावेषन

(i) 2001–2002 के दौरान राज्य में हितग्राहियों का समावेषन निम्नानुसार था :

(आंकड़े लाख में)

परियोजना की प्रकृति एवं संख्या	जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या			जनसंख्या जो समाविष्ट होनी थी (प्रतिषत)	वास्तविक समाविष्ट हितग्राहियों की संख्या (प्रतिषत)
	6 वर्ष वय के नीचे के बच्चे	गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाती माताएं	कुल जनसंख्या		
ग्रामीण (61)	16.83	3.98	20.81	8.32 (40)	4.72 (23)
शहरी (6)	3.38	0.99	4.37	1.75 (40)	0.69 (16)
आदिवासी (85)	14.49	3.35	17.84	13.38 (75)	5.00 (28)
योग (152)	**34.70**	**8.32**	**43.02**	**23.45**	**10.41 (44)**

43.02 लाख की जनसंख्या के विरूद्ध 23.45 लाख हितग्राहियों को मानदंड के अनुसार समाविष्ट किया जाना था। परन्तु केवल 10.41 लाख (44 प्रतिषत) हितग्राहियों को समाविष्ट किया गया। विषेषतः आदिवासी

जनसंख्या के बावजूद आदिवासी क्षेत्रों में समावेषन (28 प्रतिषत) अत्यल्प था। संचालक ने बताया (मई 2002) कि अतिरिक्त आंगनवाडी खोलने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

(ii) नमूना जांच किये गये चार जिलों में समावेषन की स्थिति निम्नानुसार थी :

(आंकड़े लाख में)

वर्ष	**ग्रामीण**				**शहरी**				**आदिवासी**			
	जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या		**जनसंख्या जो 40% मानदंड के अनुसार समाविष्ट की जानी थी**	**पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समाविष्ट हितग्राहियों की संख्या (प्रतिषत)**	**जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या**		**जनसंख्या जो 40% मानदंड के अनुसार समाविष्ट की जानी थी**	**पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समाविष्ट हितग्राहियों की संख्या (प्रतिषत)**	**जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या**		**जनसंख्या जो 75% मानदंड के अनुसार समाविष्ट की जानी थी**	**पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत वास्तविक समाविष्ट हितग्राहियों की संख्या (प्रतिषत)**
	6 वर्ष वय सेनीचे के बच्चे	**गर्भवती एवं दूध पिलाती माताएं**			**6 वर्ष वय सेनीचे के बच्चे**	**गर्भवती एवं दूध पिलाती माताएं**			**6 वर्ष वय सेनीचे के बच्चे**	**गर्भवती एवं दूध पिलाती माताएं**		
1997–98	5.85	1.40	2.90	0.31 (4)	2.20	0.59	1.12	0.29 (11)	6.23	1.38	5.71	1.62 (21)
1998–99	5.95	1.42	2.95	1.53 (21)	2.23	0.61	1.14	0.30 (10)	6.35	1.40	5.81	1.98 (26)
1999–2000	6.05	1.43	2.99	1.10 (15)	2.26	0.63	1.16	0.30 (10)	6.46	1.43	5.92	1.97 (25)
2000–2001	6.15	1.45	3.04	1.78 (23)	2.29	0.66	1.18	0.43 (15)	6.58	1.46	6.03	2.07 (26)
2001–2002	6.26	1.46	3.09	1.89 (24)	2.32	0.68	1.20	0.45 (15)	6.70	1.49	6.14	2.40 (29)

बच्चों (6 वर्ष से कम) एवं गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाती माताओं की कुल संख्या के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में 40 प्रतिषत, शहरी क्षेत्रों में 40 प्रतिषत और आदिवासी क्षेत्रों में 75 प्रतिषत के मानदंड के विरूद्ध क्रमषः 4 से 24 प्रतिषत, 10 से 15 प्रतिषत और 21 से 29 प्रतिषत हितग्राहियों का समावेषन था। भारत सरकार द्वारा भवनों, वाहनों, फर्नीचर और उपकरण सहित प्रत्येक विकासखंड में परियोजनाओं की स्थापना के उपरान्त भी राज्य में 13.04 लाख हितग्राही (नमूना जांच किये गये जिलों में 5.69 लाख हितग्राही) कार्यक्रम के लाभ से वंचित रह गए।

(घ) गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की स्थिति

कम वजन तथा कुपोषण की तीसरी एवं चौथी श्रेणी के पीड़ित पाए गये बच्चों को विषेष देखभाल की आवष्यकता होती है और उन्हें रोगहर भोजन (खाने के लिए तैयार उच्च पोषक भोजन) दिया जाना था।

1.53 लाख के विरूद्ध केवल 9875 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे लाभान्वित हुए

नमूना जांच किये गये चार जिलों में एकत्रित जानकारी से प्रकट हुआ कि 63 परियोजनाओं में 1.53 लाख (राष्ट्रीय सूचकांक के अनुसार बाल जनसंख्या के 10 प्रतिषत के मानदंड पर संगणित) के विरूद्ध केवल 9875 बच्चे इस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए और उन्हें रोगहर भोजन के स्थान पर दुगना खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति सुधारने में वांछित प्रभाव डालने में कार्यक्रम विफल रहा ।

3.4.7 खाद्यान्न की मात्रा

(i) खाद्यान्न का अपर्याप्त प्रदाय

मानदंड के अनुसार केयर परियोजनाओं में 65 ग्राम अन्न सोया मिश्रण एवं 8 ग्राम सलाद तेल तथा गैर–केयर परियोजनाओं में 80 ग्राम दलिया/ब्रेड प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने थे। तदनुसार 2001–2002 के दौरान 23.45 लाख हितग्राहियों को खिलाने हेतु आवष्यक खाद्यान्न की मात्रा और 300 दिवसों के लिए वास्तविक प्राप्त/अधिप्राप्त खाद्यान्न की मात्रा निम्नानुसार थी :–

	केयर परियोजनाएं			गैर केयर परियोजनाएं	
खाद्यान्न की मात्रा	**हितग्राहियों की संख्या (लाख में)**	**अन्न सोया मिश्रण (मैट्रिक टन में)**	**सलाद तेल (मैट्रिक टन में)**	**हितग्राहियों की संख्या (लाख में)**	**दलिया/ब्रेड (मैट्रिक टन में)**
आवश्यक	17.02	33189.000	4084.800	6.43	15432
प्राप्ति/अधिप्राप्ति	–	12289.300	1486.123	–	7398
(प्रतिशतता)		(37)	(37)		(48)

पूरक पोषाहार हेतु खाद्यान्न का कम प्रदाय

सारिणी से स्पष्ट है कि केयर और गैर केयर परियोजनाओं में वास्तविक आवष्यकताओं का क्रमषः 37 और 48 प्रतिषत प्राप्त/अधिप्राप्त खाद्यान्न की मात्रा थी। यद्यपि प्रदाय की गई सामग्री केवल 9.38 लाख हितग्राहियों के लिए पर्याप्त थी जबकि इसका उपयोग 10.41 लाख हितग्राहियों को खिलाने हेतु किया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रदाय में व्यवधान हुआ और यह राज्य में 13. 04 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषाहार से वंचन का कारण बना ।

(ii) पूरक पोषाहार के प्रदाय में व्यवधान

लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान प्रकट हुआ कि निम्नानुसार पूरक पोषाहार निर्धारित 300 दिवसों के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया :

कम संख्या	श्रेणी	आंगनबाड़ियों पर राज्य स्तरीय आंकड़े					नमूना जांच किये गये जिलों में आंगनवाड़ियों पर आंकडे				
		आंगनवाड़ियों की वर्षवार संख्या					आंगनवाड़ियों की वर्षवार संख्या				
		1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001	2001–2002
1.	कियाषील आंगनवाड़ियों की संख्या	13069	16781	17243	19084	19462	4485	6313	6551	7542	7784
2.	प्रतिवेदित करने वाली आंगनवाड़ियों की संख्या	11622	15654	16316	18797	19286	4485	6313	6551	7542	7784
3.	प्रतिवेदित न करने वाली आंगनवाड़ियों की संख्या (प्रतिषतता)	1447 (11)	1127 (7)	927 (5)	287 (2)	176 (1)	––	––	––	––	––
4.	200 दिवसों से 300 दिवस (प्रतिषतता)	8756 (67)	11327 (67)	11572 (67)	13264 (69)	14124 (73)	3096 (69)	4764 (75)	4784 (73)	5640 (75)	5573 (72)
5.	200 दिवसों से कम (प्रतिषतता)	2107 (16)	2390 (15)	3225 (19)	4928 (26)	4604 (23)	920 (21)	949 (15)	1313 (20)	1680 (22)	1897 (24)
6.	आंगनवाड़ियों की संख्या जिन्होंने एक दिन भी पूरक पोषाहार उपलब्ध नहीं कराया, संख्या (प्रतिषतता)	759 (6)	1937 (11)	1519 (9)	605 (3)	558 (3)	469 (10)	600 (10)	454 (7)	222 (3)	314 (4)

केयर खाद्यान्न के प्रदाय में 1 से 200 दिवसों तक का व्यवधान

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि क्रियाषील आंगनवाड़ियों के 3 से 11 प्रतिषत ने 1997–2002 के दौरान एक दिन के लिए भी पूरक पोषाहार वितरित नहीं किया। इसके अतिरिक्त 15 से 26 प्रतिषत आंगनवाड़ियॉ एक वर्ष में 200 से कम दिवसों के लिए पोषक खाद्यान्न वितरित कर सकीं। इस प्रकार 67 से 73 प्रतिषत आंगनवाड़ियां 200 से अधिक दिवसों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करा सकीं। नमूना जांच किये गये जिलों में भी ऐसी ही स्थिति समान थी। जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने इसका कारण आंगनवाड़ियों को केयर खाद्यान्न के अनियमित प्रदाय को बताया। इस प्रकार विभाग केयर परियोजनाओं में वैकल्पिक व्यवस्था करने और पोषक खाद्यान्न का नियमित प्रदाय सुनिष्चित करने में विफल रहा।

3.4.8 खाद्यान्न की गुणवत्ता

(प) षिषु आहार का प्रदाय न करना

शिषु आहार प्रदाय में विफलता

भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार 6 माह से एक वर्ष के वय वर्ग के बच्चों को दूध या दूग्ध पावडर अथवा सरलता से निगलने योग्य एवं पोषक कोई अन्य खाद्यान्न के रूप में षिषु आहार प्रदाय किया जाना था। नमूना जांच किये गये जिलों में यह दृष्टिगत हुआ कि एक वर्ष तक के बच्चों को अन्न सोया मिश्रण, सलाद तेल (केयर परियोजनाओं में) एवं अन्य परियोजनाओं में दलिया/ब्रेड प्रदाय किए गए जो षिषु आहार के रूप में नहीं कहे जा सकते थे क्योंकि वे सरलता से निगलने योग्य नहीं थे। संचालक ने भी स्वीकार किया (फरवरी 2002) कि 6 माह से एक वर्ष के वय वर्ग के बच्चों को षिषु आहार प्रदाय नहीं किया जा रहा था परन्तु उसके लिए कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया। इस प्रकार, राज्य में एक वर्ष तक की आयु के बच्चे पूरक पोषाहार से वंचित रहे।

(ii) सलाद तेल का अपर्याप्त प्रदाय

केयर परियोजनाओं में सलाद तेल का कम प्रदाय

10 परियोजनाओं (9 : जगदलपुर, 1: दुर्ग) के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 8:1 के आवष्यक अनुपात के विरूद्ध जगदलपुर जिले में सितंबर 1997 से मार्च 1998 एवं मई से अक्टूबर 2001 के दौरान 21:1 के अनुपात में 129.466 मैट्रिक टन अन्न सोया मिश्रण एवं 6.028 मैट्रिक टन सलाद तेल प्रदाय किया गया। इसी प्रकार, बेमेतरा परियोजना (दुर्ग) में जुलाई 2001 में 12:1 के अनुपात में 6.459 मैट्रिक टन अन्न सोया मिश्रण वं 0.536 मैट्रिक टन सलाद तेल प्रदाय किया गया। सलाद तेल के कम प्रदाय का परिवीक्षण करने में संचालक की विफलता के परिणामस्वरूप वांछित स्वाद एवं पोषाहार के बिना अन्न सोया के वितरण से कुपोषित बच्चों को स्वादिष्ट एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का उद्देष्य पूर्ण नहीं हुआ।

(iii) भण्डारण में खराब हुए गुड़ से हानि

भण्डारण में 864.59 क्विंटल गुड़ के खराब होने के कारण 12.51 लाख रूपये की हानि

केयर पोषित परियोजनाओं में स्वादिष्ट आहार बनाने के उद्देष्य से गुड़ एवं नमक जिला स्तर पर क्रय किया जाना था और आंगनवाड़ियों को प्रदाय किया जाना था।

संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 2249.68 क्विंटल के कुल प्रदाय में से केवल 1385.09 क्विंटल गुड़ फरवरी 1998 तक प्रयुक्त हो सका। 864.59 क्विंटल वजन का गुड़ भण्डारण में खराब हो जाने से सरकार को 12.51 लाख रूपये की हानि हुई। तथापि, सरकार को हुई हानि के लिए कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त यह दृष्टिगत हुआ कि गुड़ के क्रय पर प्रतिबंध के कारण 1998–99 के लिए आवंटित निधियां (42.73 लाख रूपये) अप्रयुक्त रही। परिणामतः दिसंबर 1997 से मार्च 1998 के दौरान 1106 आंगनवाड़ियों (9 परियोजनाओं) में तथा 1998–99 के दौरान 1636 आंगनवाड़ियों (14 परियोजनाओं) में गुड़ एवं नमक के बिना 2306.425 मैट्रिक टन अन्न सोया मिश्रण और 260.313 मैट्रिक टन सलाद तेल वितरित किए गए।

(iv) स्वादहीन पंजीरी का प्रदाय

सरगुजा जिले के तीन आदिवासी परियोजनाओं में शक्कर की कमी वाली पंजीरी की आपूर्ति के कारण 26.59 लाख रूपये का अनियमित व्यय

जिला कार्यक्रम अधिकारी सरगुजा के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 215.5 मैट्रिक टन पंजीरी के क्रय पर 26.59 लाख रूपये का व्यय किया गया (1997–2000 के दौरान अंबिकापुर में 30 विषेष पोषाहार केन्द्रों के लिए 64.25 मैट्रिक टन, 1999–2000 के दौरान सूरजपुर परियोजना के लिए 100.45 मैट्रिक टन और 1999–2000 के दौरान रामानुज नगर परियोजना के लिए 50.80 मैट्रिक टन)। फरवरी 1998 से मार्च 2000 के मध्य पंजीरी के 10 नमूने लिए गए। इन नमूनों के जांच प्रतिवेदनों ने प्रदर्षित किया कि यद्यपि नमूने आवष्यक प्रोटीन एवं कैलोरी युक्त थे, आवष्यक शक्कर की कमी के कारण यह स्वादहीन था।

जिला कार्यक्रम अधिकारी सरगुजा ने उत्तर दिया कि विष्लेषण प्रतिवेदन प्रयोगषाला से विलंब से प्राप्त हुए और पंजीरी में कमी कलेक्टर के ध्यान में लाई गई जिसने इसके बाद स्वादिष्ट पंजीरी प्रदाय करने हेतु संयंत्र प्रतिनिधि को निर्देषित किया। तथापि, स्वादहीन पंजीरी का प्रदाय फरवरी 1998 से मार्च 2000 तक जारी रहा। आपूर्तिकर्ता पर कोई अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

(अ) आपूर्तिकर्ताओं से ईंधन, गुड़, नमक और परिवहन व्यय की कम वसूली

राज्य सरकार के आदेषानुसार प्रत्येक आंगनवाड़ी के लिए ईंधन, गुड़, नमक और परिवहन की लागत के एवज में आपूर्तिकर्ताओं से 300 रूपये प्रतिमाह की वसूली की जानी थी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्ग और रायपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि आंगनवाड़ियों की संख्या के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से 44. 08 लाख रूपये (24.51 लाख रूपये : दुर्ग और 19.57 लाख रूपये : रायपुर) एकत्रित किये जाने के विरूद्ध केवल 35.11 लाख रूपये (18.13 लाख रूपये : दुर्ग और 16.98 लाख रूपये : रायपुर) आपूर्त्तिकर्ताओं से एकत्रित किए जा सके।

दुर्ग और रायपुर जिलों में आपूर्तिकर्ताओं से 8.97 लाख रूपये की कम वसूली

वास्तविक खपत के स्थान पर हितग्राहियों की अतिसूचीबद्धता पर आधारित अधिक अधिप्राप्ति के कारण खाद्यान्न भंडार के संचयित होने के परिणामस्वरूप रायपुर और दुर्ग जिलों में क्रमषः 2 और 4 माहों के लिए मासिक मांगपत्र प्रेषित नहीं किए गए। इस प्रकार ईंधन, गुड़, नमक आदि की 8.97 लाख रूपये की लागत,(6.38 लाख रूपये दुर्ग और रायपुर से 2. 59 लाख रूपये) की राशि की आपूर्तिकर्ताओं के देयकों से कटौती नहीं की जा सकी।

जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने बताया कि मासिक आधार पर परियोजना अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांगपत्र के आधार पर आपूर्ति आदेष, दिए गए थे। इनके अवास्तविक होने के फलस्वरूप एक ओर आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुॅचाया गया और आंगनवाड़ियों को आहार की तैयारी हेतु ईधन, नमक एवं गुड़ के आवष्यक अंशों से वंचित रखा गया।

3.4.9 अन्य रूचिकर मुद्दे

(i) विषेष पोषाहार केन्द्रों को आंगनवाड़ियों में परिवर्तन न करना

fo'ks"k iks"kkgkj dsUnzksa dks vafcdkiqj ,dh`r cky fodkl lsok ifj;kstuk dh vkaxuokfM+ ;ksa esa

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यमान विषेष पोषाहार केन्द्रों का एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं के अंतर्गत संविलयन किया जाना था। यह दृष्टिगत हुआ कि 1995–96 में अंबिकापुर में एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना खुलने के उपरान्त भी जिला कार्यक्रम अधिकारी सरगुजा के अधीन अंबिकापुर की गंदी बस्तियों में चलाये जा रहे ऐसे 30 केन्द्र केयर के अंतर्गत आंगनवाड़ियों में संविलयित एवं परिवर्तित नहीं किए गए । यदि ऐसा किया गया होता तो 1997–2002 के दौरान 6000 हितग्राहियों को पंजीरी के वितरण पर किया गया 34.86 लाख रूपये का व्यय बचाया जा सकता था। संवीक्षा के दौरान यह भी प्रकट हुआ कि इन केन्द्रों द्वारा कोई अभिलेख संधारित नहीं किये गये और उनमें से किसी ने कोई भौतिक प्रगति प्रतिवेदन कभी प्रस्तुत नहीं किया था। पंजीरी के प्रदाय में कमी के फलस्वरूप खाद्य दिवसो में 1999–2000 में 173 दिवसों से 2001–2002 में 21 दिवसों तक की कमी हुई। जिला कार्यक्रम अधिकारी सरगुजा ने बताया कि बजट आवंटन की निरंतर प्राप्ति के कारण ये खाद्यान्न केन्द्र जारी रखे गए थे। भारत सरकार के दिशा निर्देशों और पोषक आहार के अपर्याप्त प्रदाय के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं था। इस प्रकार इन

केन्द्रों को एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना में संविलय न करने के कारण इन केन्द्रों के हितग्राही पोषक आहार से वंचित रहे।

(ii) विक्रय धन को रोककर निष्क्रिय रखना और बारदानों एवं पात्रों के निपटान में विलंब

27.86 लाख रूपये के खाली बारदानों का विक्रय धन बैंक में जमा किया तथा 11.64 लाख रूपये मूल्य के खाली बारदानों का निर्वर्तन नही किया गया था

मध्यप्रदेष सरकार ने खाली बारदानों के लिए 0.40 रूपया प्रति बोरा और प्रति पात्र 20 रूपये न्यूनतम विक्रय मूल्य निर्धारित किया (जनवरी 1998)। चार नमूना जिलों में 1997–2002 के दौरान उपार्जित 39.50 लाख रूपये मूल्य के 1196887 बोरों एवं 183616 पात्रों के विरूद्ध केवल 27.86 लाख रूपये मूल्य के खाली बारदाने ही मार्च 2002 तक निर्वर्तित किए गए। इसके अतिरिक्त एकत्रित विक्रय धन जमा किये गये एवं संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों के बैंक खातों में पड़े हुए थे।

आंगनवाड़ियों में सामग्री के प्रतिस्थापन एवं भण्डार के बनाए रखने हेतु विक्रय धन के आंषिक उपयोग के लिए राज्य सरकार के परामर्ष से भारत सरकार द्वारा अगस्त 1986 में यद्यपि आदेष जारी किए गए, तथापि कोई धन राषि व्यय नहीं की गई। इसके अतिरिक्त 11.64 लाख रूपये मूल्य के खाली बारदाने आंगनवाड़ियों के भंडार में अनिर्वर्तित पड़े हुए थे। आंगनवाड़ियों में विद्यमान सुविधाओं को उन्नयित करने हेतु खाली बारदानों के विक्रय से संसाधन उपार्जन का उद्देष्य इस प्रकार पूरा नहीं हुआ।

(iii) ईंधन प्रभार के लेखा अभिलेखों का संधारण न करना

3.35 करोड़ रूपये के ईंधन व्यय हेतु प्रमाणक संधारित नहीं थे

अभिलेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 1997–2002 के दौरान ईंधन प्रभार पर 3.35 करोड़ रूपये का व्यय किया गया जिसके लिए आंगनवाड़ियों द्वारा कोई अभिलेख संधारित नहीं किया गया। अतः व्यय की सत्यता सत्यापित नहीं हो सकी।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ियों की अनुचित स्थापना

दुर्ग और रायपुर जिलों में 649 आंगनवाड़ियां खोलते समय भारत सरकार के जनसंख्या मानदंड का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं किया गया

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की औसत जनसंख्या के लिए एक आंगनवाड़ी खोली जानी थी। सत्रह परियोजनाओं दुर्ग (7) और रायपुर (10) के अभिलेखों की संवीक्ष के दौरान प्रकट हुआ कि जनपद पंचायतों की अनुषंसा पर 649 आंगनवाड़ियां स्थापित की गईं जहां ग्रामों की जनसंख्या भारत सरकार के मानदंड से बहुत नीचे थी जैसा कि नीचे वर्णित है –

आंगनवाड़ियों के खोलने का वर्ष	300 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या, जहां आंगनवाड़ियां स्थापित की गईं	301–500 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या, जहां आंगनवाड़ियां स्थापित की गईं	501–700 तक की जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या, जहां आंगनवाड़ियां स्थापित की गईं	701–830 की जनसंख्या वाले ग्रामों की संख्या जहां आंगनवाड़ियां स्थापित की गईं
1997–98	08	72	159	93
1998–99	10	40	69	51

1999–2000	04	32	46	20
2000–2001	01	11	23	10
योग	**23**	**155**	**297**	**174**

इसके परिणामस्वरूप इन आंगनवाड़ियों पर अतिरिक्त व्यय (आवर्ती/अनावर्ती) हुआ और मानदंड (78 हितग्राही प्रति 1000 जनसंख्या) के अनुसार आवष्यक हितग्राहियों की अनुपलब्धता के कारण न्यून समावेषन भी था। जिला कार्यक्रम अधिकारियों ने बताया कि ग्रामों के सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक पिछड़ापन के आधार पर विकासखंड स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए गए थे। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि भारत सरकार के मानदंड का अनुसरण नहीं किया गया।

3.4.10 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत पोषाहार

(प) भारत सरकार से अनुदान प्राप्त करने हेतु अतिरंजित प्रस्ताव

2001–2002 के दौरान बच्चों की संख्या में बढ़ौत्री पर भारत सरकार से 6.15 करोड़ रूपये का अधिक अनुदान प्राप्त करना

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत विषेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्ष वय से कम के बच्चों को अतिरिक्त पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रतिवर्ष 18.93 करोड़ रूपये की लागत पर 0–3 वर्ष वय वर्ग में 266399 बच्चों (जनगणना 2001) कि एक हितग्राही जनसंख्या वाली 35 (29 ग्रामीण + 6 शहरी) परियोजनाओं में क्रियान्वित की गई। तथापि, 25.08 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की लागत पर परियोजनागत 357128 बच्चों हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया परिणामस्वरूप 6.15 करोड़ रूपये से अतिरंजित प्रस्ताव था। भारत सरकार ने 6 माहों के लिए 12 करोड़ रूपये मुक्त किए (अगस्त 2001) जिसमें से मार्च 2002 के अंत में 7. 73 करोड़ रूपये अव्ययित रह गए।

(पप) शहरी परियोजनाओं का अनियमित चयन

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों, अनुसूचित जातियों, भूमिहीन मजदूरों, गंदी बस्ती में रहने वाले तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों (0–3वर्ष) को एक लक्ष्य समूह के रूप में केन्द्रीभूत करना था।

यह दृष्टिगत हुआ कि दो जिलों अर्थात् राजनांदगांव और सरगुजा जो पहिले से ही पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत समाविष्ट थे, की 6 शहरी परियोजनाओं और विषेष पोषाहार केन्द्रों की सभी आंगनवाड़ियां प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत समावेषन हेतु चयन की गई। इस प्रकार नमूना जांच के जिलों में दोहरे समावेषन के कारण शहरी क्षेत्रों पर 47.53 लाख रूपये (दुर्ग की 2 शहरी परियोजनाओं में 23.89 लाख रूपये, रायपुर की एक शहरी परियोजना में 15.14 लाख रूपये और सरगुजा के पोषाहार केन्द्रों पर 8.50 लाख रूपये) का परिहार्य व्यय किया गया।

3.4.11 परिवीक्षण

पूरक पोषाहार कार्यक्रम का परिवीक्षण मासिक प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से किया जाना था।

नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 1997–98 में 1447 आंगनवाड़ियों, 1998–99 में 1127 आंगनवाड़ियों, 1999–2000 में 927 आंगनवाड़ियों, 2000–2001 में 287 आंगनवाड़ियों एवं 2001–2002 में 176 आंगनवाड़ियों ने मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए और इस तथ्य की पुष्टि संचालक द्वारा उनके उत्तर में की गई (मई 2002)।

समुदाय आधिारित परिवीक्षण व्यवस्था के अनुरूप ग्राम, विकासखंड एवं जिला स्तर पर बाल विकास महिला समितियों के संविधान में उल्लिखित कार्यक्रम परिवीक्षण की संरचना की जानी थी।

3.4.12 कार्यक्रम का मूल्यांकन

इसके प्रभाव को सुनिष्चित करने हेतु कार्यक्रम न तो राज्य सरकार द्वारा मूल्यांकित किया गया और न किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से ही इसका मूल्यांकन कराया गया।

3.4.13 निष्कर्ष

कार्यक्रम का उद्देष्य 6 वर्ष वय से कम के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तथा दूध पिलाती माताओं के पोषाहार स्तर का सुधार करने पर केन्द्रित था। 2001–2002 के दौरान कार्यक्रम पर 17.58 लाख रूपये की निधियां व्यय की गई जो पात्र हितग्राहियों के केवल 44 प्रतिषत के समावेषन के कारण अपना उद्देष्य प्राप्त करने में विफल रही। अप्रभावी सर्वेक्षण के कारण 13.04 लाख बच्चे एवं माताएं बड़ी संख्या में असमाविष्ट रह गई। 1997–2002 के दौरान 605 से 1937 आंगनवाड़ियों में पोषक आहार प्रदाय निलंबित रहा। इसके अतिरिक्त 20 प्रतिषत आंगनवाड़ियां वर्ष में निर्धारित 300 दिवसों के विरूद्ध 200 से कम दिवसों के लिए पूरक पोषाहार वितरित कर सकीं। इस प्रकार कार्यान्वयन/परिवीक्षण एजेंसियां कार्यक्रम को गंभीर रूप से ऊपर नहीं उठा सके तथा वांछित परिणामों को सुनिष्चित नहीं कर सके।

उपरोक्त बिन्दु शासन को अक्टूबर 2002 में भेजे गये थे ; उत्तर प्राप्त नही हुआ था (फरवरी 2003)।

भाग – ख – लेखा परीक्षा कंडिकाएं

वन विभाग

3.5 मानदंडों का अनुपालन न करने के फलस्वरूप अधिक व्यय

पातन के बिना वृक्षों के चिन्हांकन पर निष्फल व्यय, पालित सामग्री पर परिवहन के बिना परिहार्य व्यय और इमारती लकड़ी के उत्पादन पर अधिक व्यय 1.03 करोड़ रूपये

वृक्षों के पातन हेतु नियत कूपों को जिस वर्ष में पातन किया जाना है उसके एक वर्ष पूर्व साधारणतः सीमांकित/चिन्हांकित किया जाता है। दिसंबर 1999 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पातन पर प्रतिबंध लगाया जो सितंबर 2000 में सषर्त हटा दिया गया। मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) मध्यप्रदेष, भोपाल ने स्पष्ट किया (दिसंबर 1999) कि वन संभाग, दुर्ग में केवल मृतप्राय, रोग ग्रस्त एवं विकृत वृक्ष पातित हो सकते हैं। अपर प्रधान मुख्य संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर ने बस्तर संभाग और दुर्ग जिले को छोड़कर नये राज्य छत्तीसगढ़ में पातन पर प्रतिबंध उठाने के लिए निर्देष जारी किए (मार्च 2001)। दुर्ग जिले में नियमित पातन का प्रतिबंध जारी था। विभागीय निर्देषों (जनवरी एवं जून 1984) के अनुसार वर्ष में पातन हेतु नियत कूपों में पूर्णरूपेण कार्य होना चाहिए और निकासी पथ के पुनर्निर्माण, निगरानी आदि पर अतिरिक्त व्यय से बचने हेतु उसी वर्ष में कूपों से डिपों तक पातित सामग्री का परिवहन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इमारती लकड़ी के उत्पादन हेतु फरवरी 1997 में 12.5 मानवदिवस प्रति घनमीटर पर श्रम की सीमा निर्धारित की गई जो वन वर्ष 1996–97 से प्रभावषील थी।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच (दिसंबर 2000 से अप्रैल 2002) के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं दृष्टिगत हुई :

(i) कवर्धा और राजनांदगांव वन मंडलों (दुर्ग वृत्त) में 1999–2002 के दौरान इमारती लकड़ी के कूपों के सीमांकन और 1,16,980 वृक्षों के चिन्हांकन पर 15.39 लाख रूपये का व्यय किया गया जो पातित नहीं किये गये। इसी प्रकार दुर्ग मंडल में यद्यपि नियमित पातन प्रतिबंधित था, 1,40,254 वृक्षों के चिन्हांकन पर 4.35 लाख रूपये का व्यय किया गया। चूंकि चिन्हांकित वृक्ष पातित नहीं किए गए, 19.74 लाख रूपये का व्यय निरर्थक हो गया था।

वन संरक्षक ने बताया (मार्च 2002) कि कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन प्रतिबंधित कभी नहीं था और इसलिए चिन्हांकन, सीमांकन, कंटिग बेक आदि जारी था। उसने आगे बताया कि पातन पर प्रतिबंध उठा लिया गया है और समस्त चिन्हांकित वृक्ष 2001–2002 में पातित किये जा रहे हैं। उत्तर मान्य नहीं हुआ क्योंकि दुर्ग वनमंडल में नियमित पातन अब भी प्रतिबंधित है (जनवरी 2003)। वनमंडलाधिकारी कवर्धा ने बताया (अप्रैल 2002) कि या तो नियमित कूपों के चिन्हांकन पर अथवा मृतप्राय, मृत एवं ढेढे–मेढे वृक्षों पर कोई व्यय नहीं किया गया, जो अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं है। वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव ने 1999–2000 के दौरान चिन्हांकन पर 8.59 लाख रूपये के व्यय का विवरण प्रस्तुत करते समय पातित वृक्षों की संख्या प्रस्तुत नहीं की जिसने चिन्हांकित वृक्षों पर व्यय को निरर्थक कर दिया।

(ii) दिसंबर 2000 एवं 2001 के दौरान 3 वनमंडलों[#] के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि 1997–2001 के दौरान निकासी पथ के पुनर्निर्माण, अग्नि सुरक्षा, निगरानी आदि पर 5.99 लाख रूपये का व्यय किया गया क्योंकि 1994–2000 के दौरान कार्य किये गये कूपों से 523.456 घन मीटर इमारती लकड़ी, 109 जलाऊ चट्टे और 1071.305 बांस की विक्रय इकाईयों का परिवहन नहीं किया गया।

इसे इंगित किए जाने पर वनमंडलाधिकारी (उत्पादन) खैरागढ़ ने बताया कि परिवहन ठेकेदार द्वारा पातित सामग्री का परिवहन न किये जाने के कारण व्यय हुआ जिसके लिए उससे 13,887 रूपये का अर्थदंड वसूल किया जा चुका था। वनमंडलाधिकारी, पूर्व सरगुजा ने बताया (दिसंबर 2000 और अप्रैल 2002) कि पहाड़ी क्षेत्र, नक्सलवाद समस्या एवं असामयिक वर्षा के कारण वनोपज का परिवहन नहीं किया जा सका। वनमंडलाधिकारी बिलासपुर ने बताया (जनवरी 2002) कि निविदा स्वीकृत न होने और सरकारी निर्णय के अनुसार पुराने ट्रक सड़क से बाहर हो जाने के कारण वनोपज का परिवहन नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग को वृक्षों का पातन नहीं करना चाहिए, यदि कूपों से काष्ठागार तक इमारती लकड़ी के परिवहन की व्यवस्था नहीं कर सकते थे।

(iii) वन मंडल नामशः कवर्धा और दक्षिण सरगुजा के अभिलेखों से प्रकट हुआ (दिसम्बर 2000 एवं जनवरी 2001) कि 19360.691 घनमीटर इमारती लकड़ी के उत्पादन पर 1996–2000 के दौरान परिवहन लागत रहित 2.13 करोड़ रूपये का व्यय किया गया जो 137.17 लाख रूपये की अनुमत्य सीमा से 75.67 लाख रूपये अधिक था।

वनमंडलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा ने अधिक व्यय के लिए वन क्षेत्र का दूरवर्ती एवं पहाड़ी होना तथा दूरस्थ स्थानों से मजदूरों की व्यवस्था होना

[#] बिलासपुर (सामान्य), खैरागढ़ (उत्पादन) और पूर्व सरगुजा (सामान्य)

बताया, जबकि वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल कवर्धा ने बताया (जनवरी 2001) कि 70.12 रूपये प्रतिदिन की प्रचलित मजदूर दर अधिक थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 70.12 रूपये प्रतिदिन की मजदूर दर को मानने के उपरान्त भी सामान्य वनमंडल कवर्धा में 17.40 लाख रूपये का अधिक व्यय संगणित किया गया। इसके अतिरिक्त किए गए व्यय का औचित्य न तो सक्षम अधिकारी द्वारा सुनिष्चित किया गया और न अधिक व्यय नियमित किया गया।

प्रकरण सरकार/प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सूचित किया गया (फरवरी 2002, अप्रैल 2002 और फरवरी 2001 एवं मार्च 2002 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसंबर 2002)।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

3.6 अस्वीकार्य कार्यों के निष्पादन पर व्यय

रोजगार आष्वासन योजना के अंतर्गत अस्वीकार्य कार्यों पर 60.02 लाख रूपये का व्यय ।

भारत सरकार द्वारा कम कृषि मौसम के दौरान लाभदायी रोजगार देने के लिए 1 सितंबर 1993 से रोजगार आष्वासन योजना प्रारम्भ की गयी। रोजगार आष्वासन योजना के दिषानिर्देषों के अनुसार, जिला पंचायत के अनुमोदन के साथ जल शेड विकास, प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत ली जा सकती थी। लिये जाने वाले सभी कार्य श्रम युक्त होना चाहिए एवं अकुषल श्रमिक की मजदूरी का उपकरण एवं सामग्री घटकों से अनुपात 60:40 होना चाहिये एवं सीमेंट, लोहा इत्यादि जैसी सामग्रियों वाले घटकों की बड़ी मात्रा में आवष्यकता वाले कार्य स्वीकृत/निष्पादित नहीं होना चाहिए।

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, जांजगीर कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया (जुलाई 2001) कि 13 कार्य (6 भवनों एवं 7 पुलियों) जिन पर 34.32 लाख रूपये व्यय किये रोजगार आश्वासन योजना के दिशा निर्देषों के अंतर्गत नहीं आते थे। इसके अतिरिक्त निर्माण पर किये गये 34.32 लाख रूपये के कुल व्यय, में से 40 प्रतिषत की सीमा के विरूद्ध सामाग्री घटक पर व्यय 25.90 लाख रूपये (75 प्रतिषत) था, जिसका तात्पर्य है कि मानकीय श्रमिक लाभपूर्ण रोजगार प्रदाय नहीं किया जा सका ।

इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालोदा बाजार, जिला रायपुर के कार्यालय के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया (दिसंबर 2001) कि 47 खेल मैदानों के समतलीकरण हेतु ग्राम पंचायतों के सरपंचों को 25.70 लाख रूपये की स्वीकृति एवं भुगतान किया गया था, जो योजना के उद्देष्यों के अंतर्गत नहीं था।

कार्यपालन यंत्री ने बताया कि कार्य जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत किये गये थे एवं भवनों एवं पुलों के निर्माण में मजदूरीं का सामाग्री घटक से निर्धारित अनुपात नहीं रखा जा सकता । मुख्य कार्यपालन अधिकारी बालोदाबाजार ने बताया कि जिलाध्यक्ष के निर्देषानुसार कार्य निष्पादित कराये गये थे। उत्तर दर्षाता है कि उक्त कार्य रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत नहीं लिये जाने चाहिए थे।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (अगस्त 2002 एवं फरवरी 2002) ; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2003)।

अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

3.7 सेनेटरी मार्टस की स्थापना हेतु प्राप्त निधियों का उपयोग नहीं होना

सेनेटरी मार्टस की स्थापना की योजना के कियान्वयन नहीं होने के परिणामस्वरूप 18.17 करोड़ रूपये का अवरूद्ध होना

मेहतरों की आर्थिक स्थिति के उन्नयन एवं उनका सामाजिक स्तर उठाने के लिए जनवरी 2000 में भारत सरकार ने मेहतरों की मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत सेनेटरी मार्टस के माध्यम से जमादारों के कार्य की एक नयी अवधारणा प्रारम्भ की। योजना में प्रषिक्षण एवं अनुदान हेतु 100 प्रतिषत केन्द्रीय सहायता एवं सीमा धन ऋण हेतु 49 प्रतिषत सहायता का प्रावधान है। 51 प्रतिषत सीमा धन ऋण राज्य शासन द्वारा वित्त पोषित किया जाना था। यह सेनेटरी मार्ट एक दुकान सह सेवा केन्द्र है जहां जन सामान्य की सेनेटरी आवष्यकता की पूर्ति हो सकती है। योजना का कियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जाना था।

भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा फरवरी 2001 में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर 2000–2001 के दौरान 7950 मेहतरों की सहायता के लिए 318 सेनेटरी मार्टों की स्थापना करने का अनुमोदन दिया (मार्च 2001)।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध करायी गई निधियॉ एवं उपयोग की गई निधियॉ निम्नानुसार थी :–

(लाख रूपये में)

कम संख्या	प्रावधानित निधियां			अर्जित ब्याज	कुल राषि	व्यय	शेष
	द्वारा	दिनांक	राशि				
1.	भारत शासन	3.4.2001	1500.00	139.56	1639.55	23.73#	1615.82
2.	मध्यप्रदेष शासन	26.3.2001	79.50	5.75	85.25	3.60/	81.65
3.	छत्तीसगढ़ शासन	20.3.2002	121.64	..	121.64	2.00/	119.64
योग			**1701.14**	**145.31**	**1846.44**	**29.33**	**1817.11**

इस प्रकार सेनेटरी मार्टों की स्थापना में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा नगण्य प्रगति की गयी एवं 18.17 करोड़ रूपये अप्रयुक्त रहे। प्रबंध निदेषक, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम रायपुर ने बताया (अगस्त 2002) कि मुख्यतः सेनेटरी मार्टों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थानों की अनुपलब्धता के कारण प्रगति धीमी थी । उसने आगे बताया कि मेहतर समूहों में ऋण लेने को इच्छुक नहीं थे। वित्त पोषण हेतु मैदानी वास्तविकता के आधार पर अतिरंजित प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत नही किये जाने चाहिए थे अथवा अधिक निधियां भारत सरकार को समय रहते ही वापिस लौटा दी जानी चाहिए थी।

प्रकरण शासन को अभिमत हेतु भेजा गया था (जुलाई 2002); परन्तु उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (फरवरी 2003)।

प्रषिक्षण : 10.08 लाख रूपये, सब्सिडी 11.90 लाख रूपये एवं सीमा धन 1.75 लाख रूपये

/ सीमा धन

स्कूल षिक्षा विभाग

3.8 91.40 लाख रूपये की निधियों का अवरूद्ध होना

तीन वर्ष से अधिक के लिए 91.40 लाख रूपये अवरूद्ध किए जाने के परिणामस्वरूप ब्याज के दायित्व से ब्याज की देयता, अर्थोपाय अग्रिम/ऋण अधिविकर्षण पर शासन को रूपये 14.31 लाख की हानि

भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अनुदान जारी किया गया दसवें वित्त आयोग की अनुषंसा पर (टी0एफ0सी0) वर्ष 1996–2000 की अवधि के दौरान पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में, कन्या माध्यमिक शालाओं में स्वच्छता सुविधाएँ एवं कन्या के षिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अब जिला पंचायत, जगदलपुर के अभिलेखों एवं इसके अतिरिक्त जानकारी एकत्रित (मई 2002) से ज्ञात हुआ कि आयुक्त लोक षिक्षण मध्यप्रदेष, भोपाल द्वारा जिलाध्यक्ष, जगदलपुर को 1998–99 के दौरान तीन जिलों के लिए 91.40 लाख रूपये आबंटित किये गये (जगदलपुर 74 लाख रूपये, कांकेर 8.40 लाख रूपये एवं दंतेवाड़ा 9 लाख रूपये) आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा आबंटित राशि से व्यय करने के लिए प्रतिबंध (अगस्त 1998) लगाने के बावजूद जिलाध्यक्ष जगदलपुर ने रूपये 91.40 लाख आहरित कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जगदलपुर के बैंक खाते में जमा कर दिया (जनवरी 1999)।

आयुक्त लोक षिक्षण ने पुनः (मार्च 2000) जगदलपुर जिला हेतु पृथक से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 85.20 लाख रूपये की निधियॉ (पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाओं हेतु 74 लाख रूपये एवं कन्या शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 11.20 लाख रूपये) प्रदान किये एवं निर्देशित किया कि पूर्व में आबंटित 91. 40 लाख रूपये यदि आहरित किये गये तो दोहरे व्यय को टालने के लिए कोषालय में जमा कर देना चाहिए। 9.40 लाख रूपये कांकेर को भी अलग से उपलब्ध कराया गया था (8.40 लाख रूपये, पीने की पानी की सुविधा एवं स्वच्छता के लिए एवं 1 लाख रूपये, कन्याओं की षिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए)। दंतेवाड़ा को 10 लाख रूपये, और भी उपलब्ध कराया गया (9 लाख रूपये, पीने की पानी एवं स्वच्छता के लिए एवं 1 लाख रूपये, कन्याओं की षिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु)।

आयुक्त लोक षिक्षण के उक्त निर्देषों के बावजूद 91.40 लाख रूपये कोषालय में जमा नहीं किया गया और बैंक में ही पड़ा रहा (मई 2002) कोषालय एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दोहरी स्वीकृति जारी होने के परिणामस्वरूप मात्र निधि ही अवरूद्ध नहीं रही बल्कि 14.31 लाख रूपये ब्याज की हानि हुई जिसकी गणना उस ब्याज दर से की गई है जिस दर

से राज्य सरकार रिजर्व बैंक को लिए गए अर्थोपाय अग्रिम ऋण अधिविकर्षण पर ब्याज का भुगतान करता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जगदलपुर द्वारा तथ्य स्वीकार किये गये (मई 2002) एवं बताया कि वर्ष 1998–99 में लिए आहरित 91.40 लाख रूपये किये गये थे परन्तु वर्ष 1997–98 के दौरान स्वीकृत कार्यों पर व्यय करने के लिए शासन की अनुमति अपेक्षित होने से कोषालय में जमा न कर बैंक में पड़े हुए थे।

प्रकरण शासन को भेजा गया था (मई 2002); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2003)।